4.1.2

Audited income and expenditure statement of the institution to be signed by CA and counter signed by the competent authority (relevant expenditure claimed for infrastructure augmentation should be clearly highlighted)

S No.	Year	Common Incubation Centre of PMFME Section Amount	Centre Allot. Amount	Receipt /Allot. Amount
1	2021-22	. 29845000	Sehore	9998820
2	2021-22	33540000	Morena	10000000
3	2021-22	35400000	Gwalior	10000313
	Total	98785000		29999,133

Comptroller—R.V.S.K.V.V., Gwalior





कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराने सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय राजा पंचमक्षिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - ४७४००२ (म.प्र.)

फोन नं. 0751—2970515 (0) 0751—2970516 (फैक्स) E-mail- <u>comptroller.rvskvv12@gmail.com</u>

क्रमांक / ले.नि. / 2021-22 / 3148

ग्वालियर : 29 111 , 2021

(।आदेश।।

कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ. वि.वि. ग्वालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों हेतु PMFME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common Incubation Centre" कार्य के लियें वर्ष 2021—22 में राशि रू. 2,99,99,133/—(दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तेतीस) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

क्र	इकाई का नाम	आवंटित राशि	इकाई का खाता क्र.	परियोजना का नाम		
1.	CoA सीहोर	99,98,820/-	40271603692	Establishment	of	Common
2.	CoA ग्वालियर	1,00,00,313/-	21160110029930	Incubation Centre		
3.	kvk मुरेना	1,00,00,000/-	430110072394			

1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/ 2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक / ले.नि. / 2018—19 / 177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/ परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा—निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री / उपयंत्री के माध्यम / सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।

8.) लेखा शाखा से परीक्षण उपरांत ही देयकों के भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त व्यय बजट शीर्ष PMFME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common

Incubation Centre" कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर वर्ष 2021–22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मान्नीय कुलपतिजी के आदेशानुार

्र (लेखा नियंत्रक) ग्वालियर : 29 | 11 | , 2021

क्रमांक / ले.नि. / 2021—22 / 3 \ पु

1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, 'रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

2.) कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर / ग्वालियर।
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना।

शाखा अधिकारी, वित्त / रिलीज़, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

6.) मान्नीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर-

्(लेखी नियंत्रक)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़, भोपाल क्रमांक / कृषि / अनु. / 3 / 1 / 14 / 60 / 92 | भोपाल, दिनांक — 15 / 12 / 2023

4882 21/12/23. संचालक अनुसंधान सेवाएं राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर 1

विषय:-

राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने बाबत्।

आपका पत्र पत्र कमांक-2140 दिनांक 08.12.2023

0000

उपरोक्त विषय में सदर्भित पत्र के द्वारा परियोजना " सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि विमोचित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक / कृषि /3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि रूपये 416.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रू. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रू.374.94 लाख में के प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 112.00 लाख (फ. एक करोड़ बारह लाख मात्र) भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से यूको बैंक शास्त्र विश्वविद्यालये प्रिस्ट गुरेना रोड ग्याहियर के खाता कमांक- 21160110035115 दिनांक-13.12.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यों पर व्यय की गयी राशि की भौतिक / वित्तीय स्थिति की जानकारी तिमाही प्रमति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट

Generaled for release by the Mandrew M.

Jeans to Dean WH- Handson M.

Compared to Dean WH- Handson M.

Compared to Dean WH- Handson M.

. उप संचारीक (अधो.) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

manim

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26. अरेश हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़, भोपाल क्रमांक / कृषि / अनु. / 3 / 1 / 14 / 60 / 888 भोपाल, दिनांक – 0 / / 11 / 2023 प्रति,

संचालक अनुसंधान सेवाएं राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

विषय:-

सदर्भ:-

राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्वर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने वाबत्। आपका पत्र पत्र कमांक—1756 दिनांक 16.10.2023

0000

उपरोक्त विषय में सदंर्भित पत्र के द्वारां परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्वर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि विमोचित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु. /3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि रूपये 729.22 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रू. 729.22 लाख की 90 प्रतिशत राशि रू.656.29 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 196.88 लाख (रू. एक करोड़ छियानवें लाख अठ्ठासी हजार मात्र) भोपाल को—आपरेटिव सेन्ट्रल बेंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल हारा आर0टी0जी०एस० के माध्यम से यूको बेंक शाखा विश्वविद्यालय परिसर मुरेना रोड ग्वालियर के खाता कमांक- 21160110035092 दिनांक-01.11.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यो पर व्यय की गयी राशि की भौतिक/वित्तीय स्थिति की जानकारी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यो की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट

करें।

उप सेचातक (अधो.) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.

म.प. 'राज्य कृषि विष्णान बोर्ड 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल शेंड, भोपाल कमाक / कृषि अनु, / 8 / 1 / 14 / 46 / 588 भोपाल, दिनांक 30 / 07 / 2016

— का है हा प

माठपाठ राज्य विपण्न विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं नण्डण राज्य विकास निधि से अनुवान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 46वीं बैठक अधोसरचना। विकास निधि से अनुवान स्वीकृति होते गठित समिति की पर्वाका में दिनांक—24,07,2015 के प्रस्ताव क—09 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के प्रान्तन में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना "कृषि व्यवसाय प्रबंधन सर्विणिकेट एवं डिम्लीमा कोस प्राप्त के लिए राशि रू. 252.00 लाख (स. दो करोड़ बाबन लाख मात्र) मप्राराज्य विपणन विकास निधा नियम 2000 के नियम 7 (2) (इ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंघान एवं अधीरिएचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति सिम्न शती के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि फ. 252:00 लाख (क दी करीड़ बावन लाख मात्र) में रो 90 प्रतिशत राशि रूपये 226.80 लाख कि दी करीड़ छबीस लाख अस्सी हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधीसरचना विकास सिधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 25:20 लाख (रूपये मन्वीस लाख बीसे हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्त्रोतों से की

उपरोवत अनुदान निमा शती के अधीन वैय रहेगा -

- जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है। बुससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा. एवं परियोजना की लागत सशि में वृद्धि होने पर घड़ी (1). राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्त्रीतो से किया जावैसी। 基键
 - अनुदान राशि का लपयोग आवर्ती व्यय में लप्नात नहीं होगा।
 - अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर समय समय पर समिति (2) (3) सुनिश्चित करेगी जो किश्तों में दी जावेंगी।
 - अनुदान राशि के व्यय के संबंध में खपयोगिला प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मण्डी बोर्ड की भेजी जायेगा। (4)
 - उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण तथा (5) प्रमाण उपलब्ध कराबा जापेगा।
 - अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा, बोर्ड के अधिकारियों के लिये सहेव खुले (6) रहेंगे।
 - परियोजना का कार्य पूर्ण होने के संबंध में प्रसाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा जारी (7) कर बोर्ड को जपलब्ध कराया जासेगा।
 - अनुवान से निर्मित आस्तियों की प्रविद्धि संस्था अपने रेजिस्टर में करेगी।
 - आस्तियों पर मएमत संबंधी व्यय करने की जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी। (8) िर्हेतर 01 (9)

26/44/18-36/1412

म.प्र. राज्य कृषि विपणन वीर्ज 26, अरेश हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल कर्माक / कृषि / अनु. /3/1/14/193/2/67 भोपाल, विनांक - 08/09/202: प्रति:

संचालक अनुसंधान सेवाएं पाजमाता विजयाराजें शिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ज्यानिक्य

विषयः जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवलपुर की परियोजनां' वायोटेक्नोलींजी सेव" हेतु राशि विमुक्तं करने वायत्।

सदर्भ- आपका पत्र पत्र छमांक-1558 दिनांक 23.01.2021

उपरोक्त विषय में सर्दार्मित पत्रों द्वारा परियोजना "वायोदेवनोलॉर्जी लेब के भवन निर्माण कार्य "के अन्तर्गत उपकरण क्य करने के लिए राशि रू.174., 28 लाख भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक / कृषि अनु / 3/1/14/191-192 दिनांक 28.02.14 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना "डायोठेक्नोहींजी लेश के भवन निर्माण कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना "डायोठेक्नोहींजी लेश के भवन निर्माण कार्य "के लिए मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान तथा अधोत्तरचना विकास निधि से कृत स्वीकृत राशि का. 2430.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि क. 2187.00 लाख में कृत स्वीकृत राशि क. 2430.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि क. 2187.00 लाख में काठवीं किश्त के कृप में राशि क्षपरो 174.26 लाख (क. एक क्रपोड़ वीहत्तर लाख क्रबीस इजार गात्र) भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. नहीं बोर्ड शास्त्र भोपाल छारा आराठटीठजीठएसठ के नात्मम से यूको बैंक शास्त्रा मुसर ग्वालियर के जाता क्रमांक-21180110015058 दिनांक-28.02.2021 को जमां करा दी गयी है। कृपया पावती प्रदान करने का कब्द करे।

स्ताः परियोजना की प्रगति के संबंध में परियोजना पर व्यय की गयी राशि की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी मिजवाने का कन्ट करें, साथ ही इस परिग्राजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले समकरण, पशीनीरी एवं फर्नीवर इत्यादि क्य करने के लिए भण्डार के नियमों का पालन करते हुए माँग पत्र के साथ की गयी उपसेवत कार्यवार्ध की सत्याप्रति प्रति संजी बोर्ड मुख्यालय मोपाल को शीध मिजवाने क्य-कृष्ट करें।

चप संचालक (अधी.) मप्रसच्च कृषि विपणन वोर्ड १-ओपाल

निदेशालय अनुसंघान सेवाएँ शक्तवाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) दिनाक: 15-03-2021

र्पृष्ठ क्रं./नि.अ.सं/त.अ./2021//853 प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु – 1. हा. एम.के. त्रिपाठी, प्रभारी, यायोटेक्नोलीजी लेब, स.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, म्वालिस्

2. लेखानियंत्रक, पादिःसिं, कृति विश्वविद्यालय, ग्वालियर

निज सचिव, माननीय कुलपति, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

्रिनिवंशक अनुस्वान सेवाएँ

ausav

-: आ दे श ::-

म०प्र० राज्य विपणन विकास निधि नियम—2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 50वीं बैठक दिनांक—25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताव क.—01 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना " ऑडिटोरियम एवं संगोष्ठी हॉल के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य" के लिए राशि रू. 1189.61 लाख (रू. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रू.1189.61 लाख (रू. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 1070.65 लाख (रूपये दस करोड़ सत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 118.96 लाख (रूपये एक करोड़ अठारह लाख छियानवे हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्त्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत्

क.	मिखंत कार्यों के लिए सांश स्वाकृत का गई है.— कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	ऑडिटोरियम बिल्डिंग वर्क	261.16
2:	एचवीएसी ऑडिटोरियम 90 प्रतिशत 7000 प्रति वर्गमीटर	208.53
3.	ऑडिटोरियम के लिए अतिरिक्त 9000 प्रति सीट	90.90
4.	अतिरिक्त ऑडियो-विजुअल, एक्सेसिक्स एण्ड स्टेज लाईटिंग के लिए	350.00
5.	आंतरिक कार्य के लिए	55.00
6.	आक्रस्मिक व्यय ३%	28.96
7.	एनबीसीसी चार्ज 7%	67.59
8.	जी.एस.टी. / एस.जी.एस.टी	127.46
	कुल योग:-	1189.61

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देय रहेगा :-

)

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्त्रोंतो से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड 6198 26, अरेश हिल्स, किसान भवन, जेल सेंड, भौपाल

कमांक / कृषि अनु / 3 / 1 / 14 / 50 / 243 भोषाल, दिनांक / 8 / 12 / 2019 24-12-19

-: आ देश:-

म0प्र0 राज्य विषणन विकास निधि नियम—2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधीसरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गंहित समिति की 50वीं बैंडक दिनाक-25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताब क.-02 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय म्वालियर की परियोजना " जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में जीन भण्डार की स्थापना" के लिए सारी क. 925.00 लाख (रू. नो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधीसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

क्ल स्वीकृत संशि रू. 925.00 लाख (रू. नो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये \$32.50 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख प्रचास हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधीसरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 92.50 लाख (रूपये बानवे लाख पचास हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्त्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए स्थि स्वीकृत की गई है:-

क	कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	बायोटेक्नोलॉजी लैब के उपकरण के लिए	875.00
2.	लैब के फर्नीचर के लिए	50.00
<u> </u>	वुल योगः-	925.00 عر

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्ती के अधीन देश रहेगा -

जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वींकृत है, उससे हटकर स्वींकृत राशि का उपयोग नहीं होंगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई राशि का वहन सर्था द्वारा अपने स्त्रीतों से किया जावेगा।

- अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा। (2)
- (3)अनुद्धान की राशि प्ररियोजना की प्रगति के आधार पर समय-समय पर संस्था को किश्तों में दी जावेगी।
- अनुदान राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य (4) सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मण्डी बीड की भेजा जावेगा।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भोतिक प्रगति का विवरण तथा (5)प्रमाण संस्था हारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा, बोर्ड के अधिकारियों के लिये सदैव (6)खुले सहमे।
- परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था (7)द्वारा जारी कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

ב ס ס ס	78.00	0.00	0.00	194.85	285.73	
Total	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	Year
-						

Comptroller P.V.S.K.V.V., Gwalio [ICAR]

Development and, Sc-SP and likerary.

abrung Henring - (Capital)

(D- errant)

		1 - 1 16 100 10 11 11	(gw mgs))
S.no.	Year .	Received from ICAR (Capital)	
1	2017-18	1065.36	2
2.	2018-19	198.73	
3.	2019-20	285.73	
4.	2020-21	194.85	
5.	2021-22	00	
Total		1744.67	

Comptroller R.V.S.K.V.V., Gwallor



24001197

भारतीय कृषि अन्संधान परिषद Indian Council OF Agricultural Research कृषि अनुसंधान अवन- ॥, पुसा, नई दिल्ली -110012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

> Phone 011-25841559 adg.ephs@icar.gov.in Website www.icar.org.in

डॉ विमलेश मान

Dr. Bimlesh Mann

सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Release: First Instalment /2023-24 under SC-SP

F.No. F.No. Agril.Edn./5(2)/2023-EP&HS

Dated: 08-Mar-2024

To.

mining

The Vice-Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2023-24 - reg.

Sir.

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6600000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2023-24 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	A	mount (in Lal	ch)
200	,	Capital	General	Total
100	Zotal fund allocated under "Schedule Caste Sub Plan " durin	g the CFY 20	23-24	
	Amount as First Instalment	600000.00	6000000.00	6600000.00
20	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
18.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
A 4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2023-24	600000.00	6000000.00	6600000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1)			0.00
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			6600000.00
8.	Unspent as per AUC 2022-23			930820.00
9.	Unspent as per AUC 2022-23 already adjusted in 2023-24			930820.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted	2		0.00
11.	Net amount to be released as First Instalment			6600000.00
12.	Actual Amount release to the University			6600000.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.



OF AGRIC

कार्यां नय नेया नियंत्रक, राजमाता विनयाराने सिंधिया क्रान्त राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फेक्स) E-mail- comptroller@rvskvv.net

क्रमांक / ले.नि. / 2023-24 / 3443

ग्वालियर :22/23/, 2024

//आदेश//

सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना एवं गृह विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान ्रिपरिषद नई दिल्ली के ई—मेल दिनांक 20.03.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों को "Development Grant" के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त के रूप में राशि रू. 12.00 लांख (बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

S.No.	Name Of College	Amount
1.	College Of Agriculture, Gwalior	2.50
2.	College Of Agriculture, Indore	2.00
3.	College Of Agriculture, Sehore	2.00
4.	College Of Agriculture, Khandwa	1.50
5.	College Of Horticulture, Mandsaur	2.00
6.	Nodel Cell, RVSKVV Gwalior	2.00
	Total	12.00

1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/ 2012/अ—ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथाः म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक / ले.नि. / 2018—19 / 177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् / भारत सरकार कृषि मंत्रालय / परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शतों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश मंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शतों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री / उपयंत्री के माध्यम / सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष "Development Grant" विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मान्नीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

क्रमांक / ले.नि. / 2023—24/3 ५५५ प्रतिलिपि:-

(लेखा नियंत्रक) ग्वालियर : 2.2 / 33 / 2024

1.) अधिष्ठाता, कृषि संकाय रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

(2) 4.) शाखा अधिकारा, .
5.) मान्नीय कुलपतिजी के 1701.

Dr. Heesey Lords DDO,

22/3/24 2.) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/उद्यानिकी महाविद्यालय

3.) नोडल सेल, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर। 4.) शाखा अधिकारी, वित्तं / रिलीज़, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर। राशि विमोचित करना है। 5.) मान्नीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।



Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000	1,97,3000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	12,00,000	12,00,000	0.00
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000	13,31,341	18,659
4.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,50,000	0.00
	College of Agriculture, Indore	23,50,000	23,48,164	1,836
6.	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	0.00
7.	College of Horticulture, Mandsaur	22,00,000	21,99,991	9.00
8.	Total	1,41,71,000		1,39,057

SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,162	56,838
1. 2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	25,00,000	25,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000	10,62,749	5,37,251
4.	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore	16,00,000	16,00,000	0.00
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000	15,99,580	420
7.	College of Horticulture, Mandsaur	16,00,000	0.00	16,00,000
/.	Total	1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509

OFFICE OF THE COMPTROLLER RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA GWALIOR (M.P.) - 474 002

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	10,00,000	10,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000	66,20,057	12,79,943
4,	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	3,08,000
5.	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	5,78,612
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	732
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
	Total ·	2,10,00,000	1,77,15,576	32,84,424

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment. F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000. F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount: - 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74.
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
6.	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
7.	College of Horticulture, Mandsaur	15,41,350	12,40,301	3,01,049
	Total	1,15,00,000	73,18,988	41,81,012

Dev. Grant & SCSP 2019-20

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Development Grant

2. Total Grant received:

Capital 7700904.00

General 1220592.00 Total ? 8921496.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening

Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

3(ii) Unadjusted advances:

Capital 3284424.00

General 0.00 Total 3284424.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

3284424.00

77

4. Total grant avaliabe (Sr.no.2+ Sr.no.3)

Capital 10985328.00 General 1220592.00

Total 12205920.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing balance: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received Years(figure as at SI. No. 3(iii))	Interest Earned thereon	State Share	Grant received du	iring the year				Total Available funds	Expenditure incurred	Closing Balance
1	2	3			4			k		
			Sanction No.(i) F. No. Ag.	Date	Capital	General	Amount	<u>.</u> <u>5</u> .	6	
			Edn/1(11)/2020- EP&HS	16.09.2020	7700904.00	1220592.00	8921496.00			
3284424.00	0.00	0.00	F. No. Ag. Edn/1(11)/2020- EP&HS	29.01.2021	0.00	0.00	0.00	12205920.00	30000000000000000000000000000000000000	176082.00
					. 000	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
Refund to Cou	ncil if any			Total	7700904.00	1220592.00	8921496.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total available								0.00	12029838.00	176082.00

6. Component wise utilization of grants

Capital

10809246.00

General

1220592.00

Total

12029838.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

Capital 176082.00 General 0.00 Total

176082.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

176082.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

 The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules/Standing instruction (mention the Act/Rules) and have been duly

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Schedule Caste Sub Plan

2. Total Grant received:

Capital 8500000.00 General 818988.00 Total 2 9318988.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening

Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

General Total

3(ii) Unadjusted advances:

Capital 0.00

4181012.00

4181012.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

4181012.00

General

Total

4. Total grant avaliabe (Sr.no.2+ Sr.no.3)

Capital 8500000.00

5000000.00

13500000.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing

balance: (Actuals)

Unspent Salances of Grants received Years(figure as at SI.	Interest Earned thereon	State Share	Grant received duri	ing the year				Total : Available : funds :	Expenditure incurred	Closing Balance
No. 3(iii))					4			5	6	7
1	2	3	Sanction No.(i)	Date	Capital	General	Amount			
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-	10.09.2020	8500000.00	818988.00	9318988.00			
			EP&HS F. No. Agril.							
			Edn/1(10)/2020- EP&HS	28.01.2021	0.00	0.00	0.00			
4181012.00	0.00	0.00	F. No. Agril. Edn/1(10)/2020- EP&HS	22.03.2021	0.00 ·	0.00	0.00	13500000,00	12569180.00	930820.0
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-	18.03.2021	0.00	0.00	0.00-			
			EP&HS		0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
				Total	8500000.00	818988.00	9318988.00	0.00		
Refund to Co		ıy						13500000.00	12569180.00	930820.

6. Component wise utilization of grants

Capital

8500000.00

General

4069180.00

Total

12569180.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

Capital 0.00 General 930820.00 Total 930820.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

930820.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Development Grant

2. Total Grant received:

Capital 7700904.00 General 1220592.00 Total 3 8921496.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening

Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

3(ii) Unadjusted advances:

Capital 3284424.00 General 0.00 Total 3284424.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

3284424.00

4. Total grant avaliabe (Sr.no.2+ Sr.no.3)

Capital 10985328.00 General 1220592.00 Total 12205920.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing

balance: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received Years(figure as at SI.	Interest Earned thereon	State Share	Grant received du	ring the year				Total Available funds	Expenditure incurred	Closing Balance
No. 3(iii))										
1	2	3			4			5	6	, 7
			Sanction No.(i) F. No. Ag.	Date	Capital	General	Amount			
			Edn/1(11)/2020- EP&HS F. No. Ag.	16.09.2020	7700904.00	1220592.00	8921496.00		والمستنشقة	
3284424.00	0.00	0.00	Edn/1(11)/2020- EP&HS	29.01.2021	0.00	0.00	0.00	12205920.00	12029838.00	176082.00
i					. 000	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
				Total	7700904.00	1220592.00	8921496.00		· June 198	· distance.
Refund to Co Total available								0.00	12029833.00	176082.00

6. Component wise utilization of grants

Capital

10809246.00

General

1220592.00

Total

12029838.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii). Unadjusted advances:

Capital 176082.00 General 0.00 Total 176082.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

176082.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

1. The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules/Standing instruction (mention the Act/Rules) and have been duly

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Schedule Caste Sub Plan

2. Total Grant received:

Capital 8500000.00 General 818988.00 Total : 9318988.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening

Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00 Capital

General

Total

3(ii) Unadjusted advances:

0.00 4181012.00 4181012.00

4181012.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

Capital

General

Total

4. Total grant avaliabe (Sr.no.2+ Sr.no.3)

8500000.00

5000000.00

.13500000.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing

balance: (Actuals)

Inspent salances of Grants eceived /ears(figure	Interest Earned thereon	State Share	Grant received duri	ing the year				Total : Available : funds :	Expenditure incurred	Closing Balance
as at SI. No. 3(iii))	2	3	Sanction No.(i)	Date	4 Capital	General	Åmount	5	6	7.
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-	10.09.2020	8500000.00	818988.00	9318988.00			
			EP&HS					1		
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-	28.01.2021	0.00	0.00	0.00			
			EP&HS F. No. Agril.			0,00	0.00	13500000.00	12569180.00	930820.0
4181012.00	0.00	0.00	Edn/1(10)/2020- EP&HS	22.03.2021	0.00 -	0.00	0.00			:
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-	18.03,2021	0.00	0.00	0.00.			•
			EP&HS		0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	. 0.00			
				Total	8500000.00	818988.00	9318988.00	0.00		
Refund to C	nuncil if a	v						13500000.00	12569180.00	930820

6. Component wise utilization of grants

Capital

8500000.00

General

4069180.00

Total

12569180.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

Capital 0.00 General 930820.00

Total 930820.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

930820.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

Indian Council OF Agricultural Research अस्तिमान मिया -- व কৃষি অনুৰ্যান প্ৰস-11, দুনা, নই বিজেই -110012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Dolhi-110012

Phone 011-25841535 adgephs@gmail.com Mebsite www.lear.org.in

डों की एस पांडेब

To.

सहानक महानिदेशक (यिक्षा योजना और गृह विज्ञान) Dr. P. S. Pandey

Assti. Director General (Education Planning & Home Science)

Release: Forth Instalment /2020-21 unda: SC-SP

F.No. Agril.Edn./1(10)/2020-EP3/18 Dated: 18-Nar-2021

Rajmata Vijayaraja Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya The Vice-Chancellor

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir,

C***

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 1750000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2029-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SF) are

en in	per list enclosed. The details of the first of the first enclosed. The details of the first enclosed. The details of the first enclosed. The details of the first enclosed.	Ar	nount (in Lakin)	Total
		Capital	General	
1. 2. 3. 4. 5.	Total fund allocated under "Schedule Casie Sub Plan Amount as First Instalment Amount as Second instalment Amount as Third Instalment Amount as Four Instalment Total fund allocated during 2020-21	3" during the CF 2000000.00 2500000.00 3000000.00 1000000.00	750000.00	3000309.00 3309000.00 5250000.00 1750000.00 19750000.00 1750000.00
7	· Inetalment			3,500,000
	Instalment Unspent as per UC/AUC 2019-20 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21 Unspent as per UC/AUC 2019-20 Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-2019 Unspent as per AUC 2019-2019 Un			98:013.6 1085988.0 1085988.0 1085988.0



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद Indian Council of Agricultural Research कृषि अनुसंधान भवन- ॥, पुसा, नई दिल्ली -110012 Krishi Anusandhan Bhawan-II,Pusa, New Delhi-110012

डॉ पी एस पांडेय Dr. P. S. Pandey सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान) Assit. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone 011-25841559 adgephs@gmail.com Website www.icar.org.in

Release: Second Instalment /

F.No. Ag.Edn./1(11)/2020-EP&HS

Dated: 29-Jan-2021

To,

The Vice-Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwallor

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir.

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6102960.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening and Development of AUs Development Grant)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the urrent financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated nder Strengthening and Development of AUs (Development Grant) are given in Table given as under:

.No.	Particulars		Amount (in Rs.	.)
(1		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Development Grant " do	uring the CFY 202	20-21	
1.	Amount as First Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
2.	Amount as Second Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2020-21	10985328.00	1220592.00	12205920.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 /2)			6102960.00
7.	Amount proposed to be released as Second Instalment			6102960.00
3.	Unspent as per UC/AUC			3284424.00
Э.	Unspent as per AUC already adjusted in			0.00
0.	Diffrence, if any, to be refunded/adjusted		y Se	3284424.00
1.	Net amount to be released as Second Instalment			2818536.00
2.	Actual Amount release to the University			2818536.00



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन - 11, पूसा, नई दिल्ली - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान) Asstt. Director General (Education Planning & Home Science) Phone: 011-25841559 : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com Website: www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwalior Madhya Pradesh

Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year Subject:-2017-18 - reg.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 90.35 lakhs approved by Secretary, DARE & Sir. DG. ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under: Table - I

Particulars	Table - I Amount (Rs. in lakhs) Capital Revenue Total.
Fund allocated during the financi	90.35 38.72 12.33 38.72
Amount already released Grant	n Aid – Revenue 2016-17) submitted by the university 90.35 Grand in Aid Capital 0.00
Unspent amount (as per UC/AU Balance Amount to be released (irand in Aid Capital 0.00
	First instalment (Sr. No. 4 - Sr. No. 5) 90.35

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Bacord an



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

indian council of agricultural research

कृषि अनुसंधान भवनं -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstf. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com Website: www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 14th March, 2018

To

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwalior Madhya Pradesh

Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - Release of Final Instalment - reg.


Sir.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 210.75 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table-I

	Table – I	Amou	int (Rs. in la	akhs)
S.No.	Particulars	Capital	Revenue	Total
	Year - 2017-18	Culvin	,	
		1021.36	177.54	1198.90 8
1	Fund allocated	90.35		988.14
2	Amount already released	155.81	54.94	210.75
3	Amount to be released as Final Instalment	155.67		
		ted by the unit	versity	10.76
4	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted	led by the are		*
	1 * (-landar adjusted)	155.81		210.75
5	Net Amount to be released as Final Instalment	1 333.04		

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be



DY 1464, 1-1110111

PLEG AN STE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान मवन - 🗓 ्रसा, नई 🗟 🕬 - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,Rew Dalhi - 110 012 [2017-18]

डॉ. पी.एस. पांडेय

10

Dr. P.S. PANDEY

सहायवः ।हानिदेशक (शिक्षा नियोजन एव गृह विज्ञान)

Assit. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone: 011-25841559
Fax:: 011-24841559
Email: adgephs@gmail.com
Website: www.icar.dry.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated 14 | 1 | 2 | 19-

The Vice Chancellor Rajnina Vijeyaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya (wallor Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub-component "Strengthening and Development of ACs (Development Grant)" under the Agricultus Education Division Plan Scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India during the year 2017-18 reg.

Sir.

Lam pleased to convey the sanction of Rs. 38.72 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub-component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved iterits a per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table – I given as under:

S.No. Particulars		C	T)
		(apmai,)	Revenue Total
Fund allocated during the finance	ial year	0.00	38.72 38.72
2017-13 as First instalment 2 Caspeat amount (as per UCAU 3 Net amount to be released as f	C 70 6-17 subo	nitted by the univ	rensity 社並

The entire grant-in-aid is governed by the selectule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final seulement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no cuse the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

Carptiollington Bostoful 17/10/19

1800. (1800. (

Walter the Walt recording the Office from the con-

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् indian council of agricultural research

कृषि अनुसंधान भवन —[[, पूसा, नई दिल्ली - 110 012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com Website: www.icar.org.in

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&HS

The Vice Chancellor RVSKVV. Gwalior Madhya Pradesh

Dated the 1997 Improvey, 2018

Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 400.00 lakh (Rupees four hundred lakh only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

	Table -	- Amo	ount (Rs. in lakh	s)
S. No.	Particulars	Capital	Revenue	10tal
	Fund allocated during the financial year	400.00	0.00	400.00
	2017-18 as Second Instalment			7.61
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount already adjusted during the release of f	irst instalment in :	2017-18) usted during the	0.00
3	(amount already adjusted during the release of f Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, release of first instalment, is being adjusted during	ring release of Se	cond Instalment	
	2017-18) Net amount to be released as Second Instalm		C., 310 31	400.0

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

DE A CONTROL FE



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृहं विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559 Fax : adgephs@gmail.com Website: www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 234 October. 2017

To

The Vice Chancellor. Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwaliot Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 83.87 lakhs approved by Secretary. DARE & DG. ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan soheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table-I

Particulars		1701. 4		
	Capital	unt (Rs. in lak) Revenue	Total	
Fund allocated during the financial year	0.00	83.87	83.87	
2017-18 as Second Instalment	<u> </u>		10.76	
Unspent balance as per AUC 2016-17				
Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of				
Net amount to be released as Second Instal	ment (Sr. No.	1 – Sr. No. 3)	83.87	
	2017-18 as Second Instalment Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first insupent balance, if any, as per AUC 2016-during the release of first instalment, is being Second Instalment 2017-18)	Fund allocated during the financial year 0.00 2017-18 as Second Instalment Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 201 Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was during the release of first instalment, is being adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during the release of first instalment.	Fund allocated during the financial year 0.00 83.87 2017-18 as Second Instalment Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 2017-18) Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of	

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Styles Merch



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन –II, पूसा, नई दिल्ली – 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com Website: www.icar.org.in

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor RVSKVV, Gwalior Madhya Pradesh ·

Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 375-20 lakh (Rupeos three hundred seventy five lakh and twenty thousand only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

	Table - 1	I Am	ount (Rs. in lak	hs) -
S. No.	Particulars	Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year	375.20	0.00	375.20
	2017-18 as Second Instalment	1		7.61
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalmer	nt in 2017-18).	1172.
3.	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which release of first instalment, is being adjusted during to	IT YOUNG HILL ALLIE	יייי בייייים טטונני	
	2017-18)	C. No 1 - 9	Sr. No. 31	375.20
4	Net amount to be released as Second Instalment (31.110.1	251121	

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Jes Maria



भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद्

indian council of agricultural research कृषि अनुसंधान भवन - 🛚 । पूसा, नई दिल्ली - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa,Now Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Assit. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559

: adgephs@gmall.com Email Website: www.icar.org.in

First and Final Instalment under SC-SP.

F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

Dated the 28th February, 2109

To

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwalior Madhya Pradesh

Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher. Agricultural Education in India? during the year 2018-19 - reg.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 135.00 lakhs approved by Secretary, DARE & DG. ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Sir, Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Cast Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table-I

un Plan (BC-DI)		Table - 1	Amoi	int (Rs. in lak	hs)
S.	Particulars		GIA-	GIA -	Total
N			Capital	General	135.00
0	ted during the financi	al year 2018-19 as	50.00	85.00	155.00
First and Fi	nal instalment		by the unive	rsity	0.00*
2 Unspent an	aunt no ner III/AUC	2017-18 submitted	ment (Sr. No.	4-Sr. No. 5)	135.00
3 Net amour	t to be released as r	irst and Final instal ler SC-SP during 2017-18, her	nce, no need of AU	C 2017-18. First time	(SC SP).

*No grant was released to the above accredited AUs under SC-SP during 2017-18, hence, no need of AUC 2017-18. First time funds earmarked for release during CFY 2018-19 as additional budget in this current financial under sub component Scheduled Casto Sub Plan (SC SP).

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन —II, पूसा, नई दिल्ली — 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

.एस. पांडेय

S. PANDEY महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

lirector General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559 : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com Fax Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 6th August, 2018

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Madhya Pradesh

Subject:-

Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" diving the year 2018-19 - reg.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 141.71 lakhs approved by Secretary, DARE & DG. ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" Sir. of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Research.	The details of the funds are given in Table — I Particulars	Amol	nt (Rs. in lak Revenue	102	
S. No.	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	Capital 103.73	37.98	141.71	770
1	Fund allocated during the Imancial year			103.33	
12		ent (Sr. No. 1	-Sr. No. 2)	38.38	1
3	Unspent balance as per AGC 2 Net amount to be released as First Instalment amount to be released as First Instalment and Inst	ile of terms an	d conditions go	overning suc	ch

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.



भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंघान भवन—II, नई दिल्ली 110012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी. एस. पांडेय

Dr. P. S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone

: 011-25841559

Fax

: 011-24841559

L):id:

: adgaphs@gmail.com

Website

: www.icar.org.in

(222) (1) File No. 9-43/2017-EP&HS Dated: 27.08.2018

To

The Vice Chancellor

Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,

Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2018-19 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 45.00 lakh (Rupees Forty five lakh only) for CFY 2018-19 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwallor (M.P). The details are as given below:

(Re. in lakh)

S. No.	Head	Allocation 2018	Release -19	Unspent amount (2017-18)	Net amount to be released	
1.	Capital	45.00	45.00	0.39	44.61	7.
2.	Revenue	0.00	0.0.0	0.00	0.00	1
3.	Total	45.00	45.00	0.39	44.61	-

- This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
- 2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
- Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil
 work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be
 got approved from the ICAR.
- 4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred.

exceed equipm

Resided

Reside

OFFICE OF THE COMPTROLLER RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA GWALIOR (M.P.) – 474 002

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
1.	T. C.	10,00,000	10,00,000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior		66,20,057	12,79,943
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000		3,08,000
4.	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	5,78,612
5:	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	732
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	/
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
	Total	2,10,00,000	1,77,15,576	32,84,424

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment. F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000. F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount: - 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance :
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	- 0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
6.	College of Horticulture, Mandsaur		12,40,301	3,01,049
7.	Total	1,15,00,000	73,18,988	41,81,01



आरतीय कृषि अनुसंधान परिषद Indian Council OF Agricultural Research कृषि अनुसंयान अवन- ॥, पुसा, नई दिल्ली -110012 Krishi Anusandhan Bhawan-Il, Pusa, New Delhi-110012

, Pandey

महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विमान)

Director General (Education Planning & Home Science)

Phone 011-25841559 adgephs@gmail.com Website www.icar.org.in

Release : First Instalment

)/2017-EP&} F.No. Agril. Edn/9 (43

Dated: 27-Sep-2019

:a-Chancellor

a Vijayaraje Scindia Arishi Vishwa Vidyalaya,Gwalior

it: Sanction and release of funds under sub component "Library Strengthening " of the plan scheme Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India for the year 2019-20 - reg.

approval and sanction of the Competent Authority of ICAR New Delhi is Rs. 3800000.00 (Rs. Thirty-Lakh Only) (Capital Rs.3800000.00 lakh & Revenue Rs.0.00 lakh) under sub component "Library thening " of Plan Scheme "Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India" for ig the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as nexure enclosed. The details of the funds are given as under:

	Amount (in Rs.)			
Particulars	Capital	Revenue	Total	
i il fund allocated under "Library Strengthening " during th		0		
I I fund allocated under "Library Strengmenting"	3800000.00	0.00	38000000.00	
Amount as First Instalment	0.00	0.00	0.00	
Amount as Second Instalment	0:00	0.00	0.00	
Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0,00	
Amount as Four Instalment	3800000.00	0.00	38000000.00	
Total fund allocated during 2019-20	0000000		0.00	
Trial emount released so far (Sr. No. 1)			3800000.00	
Amount proposed to be released as First Instalment			516781.00	
11 t as nor ALIC 2018-19			2.2	
Unspent as per AUC 2018-19 already adjusted in 2019-20			0.0	
			516781.0	
Diffrence, if any, to be refunded/adjusted			3283219.0	
Net amount to be released as First Instalment	1			

his entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from ne ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount anctioned under each head (as per annexure) subject to the final settlement in due course on the basis f the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. no case the expenditure be incurred on any item not utilize approved by the ICAR.



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंतान भवन -11. पूसा. नई चिल्ली -- 110 012

Krisbi Annsandhan Shawan-II, Fusa,New Delhi - 110 012

LS RATHORE

Director General (Agricultural Education)

FNo. Agril Edn /4-50/2017-EP&HS

Phone : 011-25841750 : 011-24843932 E-mail : ddgedn@gmail.com Fax ni.gra.rsj.www.reriedeW

Dated the 31st July, 2019


Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya The Vice Chancellor Gwalior

Subject: Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - Release of First Instalment - reg.

I am pleased to convey the sanction of Rs. 21000000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" Sin of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education In India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items us per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Kesearch. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Kesearch. The details of the function	Table - 1 Amount in Rs. Total
S. No. Particulars	Capital General
Financial Year	1900000000 200000000 21000000000 138065:00
Fund allocated Leggent amount (as per UC/AUC 2	1900000.009 138065:00 1018-19) submitted by the university 20861935.00 181 Instalment
2 Unspent amount (as per UC/AUC) 3 Net Amount to be released as Flo	rst instances

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final scuttement in due course on the basis of the audit certificate of statetory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved by the ICAR.





वी.एस. पांडेय

. P.S. PANDEY

ायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

stt. Director General (Education Planning & Home Science)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

Indian council of agricultural research

कृषि अनुसंधान भवन — II. पूसा, नई दिल्ली — 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

> Phone: 011-25841559 email: <u>adgeohs@gmail.com</u> Website: www.icar.org.in

Release Second Instalment under SC-SP F.No. Agril, Edn./21-50/2017-EP&HS

agm.cum, 22-30, 2017-21 8110 Dated: OS--November-2019

17 January -2020

To

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwalior, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste – Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.2875000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste – Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste-Sub Plan (SC-SP) are given in Table – I given as under:

Table - I Amount (in Rs.) Total GIA-General Particulars GIA-Capital 10. Total fund allocated under "Scheduled Cast Sub Plan" during the CFY 2019-20 8625000.00 4295250.00 4329750.00 Amount as First Instalment 2875000.00 1431750.001 1443250.00 Amount as Second Instalment 0.00 0.00 2. 0.00 Amount as Third Instalment 0.00 0.00 3. 0.00 Amount as Four Instalment 11500000.00 5727000 1 5773000.00 Total fund allocated during 2019-20 8625000.00 5. Total amount released so far (Sr. No. 1) 6. 2875000.00 Amount proposed to be released as Second 7. Instalment 2019-20 2194509.00 Unspent as per UC 2018-19 (already .8. adjusted) Unspent as per AUC 2018-19 to be adjusted 2194509.00 9. 0.00 Difference, if any, to be refunded/adjusted 10. (Sr. No. 8 - Sr. No. 9) 2875000.00 Net amount to be released as Second Instalment 2019-20 as per Sr. No. 2 11

- ATOTES DROGGET

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन -II, पूराा, नई विल्ली - 110 012 Krishi Anusandhan Bhawan-11, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY चहायक गहानिवेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान) Assit. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841869 <u>adaspha@amail.com</u> Website: www.icar.org.in

Release First Instalment under SC-SP F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&H5

Dated: 18-Sep-2019

To

The Vice Chancellor Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya Gwallor, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.8625000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-5P)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

	Table =	•]		
5. No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		GIA-Capital	GIA-General	Total
	Total fund allocated under "Scheduled Cast Si	ub Plan " during	the CFY 2019-20	100
1.	Amount as First Instalment	4329750.00	4295250.00	8625000.00
2.	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2019-20	4329750.00	4295250.00	8625000,00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1)			7/
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			8625000.00
8.	Unspent as per UC/AUC 2018-19			2194509.00
9,	Unspent as per UC/AUC 2018-19 aiready adjusted in 2019-20	\(\frac{1}{2}\)		0.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			0:00
11	Net amount to be released as First Instalment			6430491.00

Miter Controle

Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000

evelo	pment Grant 2018-19 Total Alloth	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
S.No.	Head		1,97,3000	0.00
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000		7 0 00
1.		12,00,000	12,00,000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior		13,31,341	18,659
4.	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000		
4.		23,50,000	23,50,000	0.00
. 5.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,48,164	1,836
6.	College of Agriculture, Indore		70,000	0.00
-	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	
7.		22,00,000	21,99,991	9.00
8.	College of Horticulture, Mandsau		-1.010	1,39,05
	Total	1,41,71,00	1,20,02,2	

SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000

C-SP u	inder Development Grant 2018-19	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
S.No.	Head		29,43,162	56,838
-	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,102	
1.		25,00,000	25,00,000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior		10,62,749	5,37,251
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000		0.00
	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	4 (1)
4.		16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore		7.00.500	420
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000		
0.		16,00,000	0.00	16,00,000
7.	College of Horticulture, Mandsaur	1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509
-	Total	1,35,00,000		1



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन—II, नई दिल्ली 110012 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012 4043

डॉ. पी. एस. पांडेय

Dr. P. S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone

011-25841559

Fax

011-24841559

Email Website adgephs@gmail.com www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS

Dated: 12.09.2017

To.

The Vice Chancellor

Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,

Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir.

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 31.00 lakh (Rupees Thirty one lakh only) for CFY 2017-18 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P). The details are as given below:


8/11/2012

S. No.	Head	<u> </u>		(Rs. in lakh)
5,110.	meau .	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	21.00		
2.	Revenue		0.00	21.00
3		10:00	0.00	10.00
	Total	31.00	0.00	31.00

- 1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final university.
- 2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
- Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil
 work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be
 got approved from the ICAR.
- 4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred

Due/Vella-18/2670

Court elle 1 DI les 10/11/1017





भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद् INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि अनुसंघान भवन—II, नई दिल्ली 110012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी. एस. पांडेय

Dr. P. S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559

Fax : 011-24841559 Email : adgephs@gmail.com

Website : www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS Dated: 19.02.2018

To

The Vice Chancellor

Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,

Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 (2nd installment) under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir.

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 39.00 lakh (Rupees Thirty nine lakh only) for CFY 2017-18 (2nd installment) under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P). The details are as given below:

(Rs. in lakh)

S, No.	Head	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	23.00	0.00	23.00
2.	Revenue	16.00	0.00	16.00
3.	Total	39.00	0.00*	39.00

*Already adjusted in 1st installment

- 1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
- 2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
- Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil
 work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be
 got approved from the ICAR.
- 4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred on items of recurring nature in any case. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and entire amount incurred will be treated as disallowed.

contriber DFA Liberry See



discontinuity.

mountally

कार्यालय लेखा निसंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाजी के पास, ग्वानिसर - ४७४००२ (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (O) 0751-2970516 (फैक्स) E-mail- comptroller.rvskvv12@gmail.com

क्रमांक / ले.नि. / 2023-24 / 2511

ग्वालियर : 26/12/ 2023

//आदेश//

अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिंड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" हेतु वर्ष 2023-24 के लिये परियोजना की कुल राशि रू. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रू. 374.94 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रू. 112.00 लाख (एक करोड़ बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय / म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार क्रमांक / एफ-6-14 / 2012 / अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक / ले.नि. / 2018-19 / 177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/ परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया

जाना सुनिश्चित किया जावे।

5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।

6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से

नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेत् किया गया है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मान्नीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

क्रमांक / ले.नि. / 2023-24 / 25 12 प्रतिलिपि:-

(लेखा नियंत्रक)

- 1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 2.) अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर।
- 3.) शाखा अधिकारी, वित्त / रिलीज़, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

4.) मान्नीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

(लेखां नियंत्रक)

070.40	93.00	0.00	46.70	149.69	369.01	
650 10	22 00				1010	0
וסנמו	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	₹
10+1	10000					
111 140	V 17)	Receive)	KVK works			

Comptrolle:

ш
ΒE
Çο
RE
m
2
2
ü
1,
2023-24
P,
7
4
: ATARI,
F
m
5
F
JABALPUR
Z

1		1		T		44	ţ	43	1	43	<u> </u>	4	ŧ	40	39	3	38	3	37	-	36	0	35	34	-	33		32	31		30		20	28		27	20		25 E		24 E		23 .	=		S.N.	:		
Tatal Byskyy		ATIC RVSKVV		DES RVSKVV		Dhar-2 (TSP>50%)		Agarmalwa		Aliraipur (TSP>50%)		Iliain		Shivpuri	Sileopui	Channir	Shajapur		Rajgarh		Neemuch		Morena	Manusaui	50%)	Khargone (TSP>25 &	50%)	Khandwa (TSP>25 &	Jnabua (13F73070)	TSD>50%)	Gwalior	(Gina	Dhar (15P>50%)	HOD/600/)	Dewas	Jana	Datia	Bhind		Badwani (TSP>50%)	Circums and a second	Ashoknagar	ANK BASKAA		ZPD/KVKs		Name of the	
BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2023-24			BE 2023-24	RE 2023-24		
10.2016				188	10			THE SECOND		10 mg/s	N					131.38	152.85	159.92	157.98	168.67	150.25	268.02	264.68	81.25	79.41	152.90	157 30	199.28	73.51	118.97	284.15	120.92	101.93	137.65	138.59	251.54	227.96	239.65	198.68	235.94	19.04	121.23	126.01		Ziioii.	Allow	Pay		
T		0.00		1 00			100					8		1	100	18.8	16.40					0.80					1.50	1.20	1.20	1.20	1.00	1.25	1.00	1.30	1.30	1.00	1.00	1.50	1.20	1.00	1.50	0.80	1.00				Ā		
						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			_	7	;	
	33		9			0.00				1 00	000	45.50	20.00	16.00	20.00	18.00	16.00	18.00	13.00	18.00	17.20	18.00	15 20	20.00	18.00	9.00	20.00	7.80	0.00	0.00	17.05	22.00	14.75	0.00	0.00	16.00	20.00	22.00	15.50	20.00			13.50	40 00	TSP		Other 1	Cont	
93.50	4											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	6.70	15.00	23.00	0.00	0.00	0.00	16.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5	0.00	000			TSP Wa	So	Recur
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00				0.00				50	000	System	Lab. Farming	_	Soil &	Recurring Contingency
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				0.00		N. Carlot	0.00		000		1		1085	0.00		ning ized	S		ngency
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00								000					0.00		18		0.00					0.00	24			0.00 0.	+	d ation	100	Techn	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.5		-	000		1		30	0.00	1	8			0.00				0.00				0.00 0.		connec	_	n For	1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							9		1		3	88			3						100	100	1 1		0.00				0.00		1	0.00 0.00		0.00	8	1	0.00 0.00			TI	e e	
0.00	0.00	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00				0.00							1/2	1	0.00	3	0.00	1	100			0.00			1	8	0.00					0.00				3	0.00		0.00	11900		e Fund	Rev.	
						000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			3		0.00	13		0.00							1	1				100			Gen.	Total	The State of the S
	375.90	475.70	0.00	0.00	8.00	7.00	16 75	24 00	16 30	21 20	20 35	34.00	47 00	31.10	17 70	77.15	19.00	17.00	19.00	14.00	19.00	17.80	19 20	21.20	15.75	19.00	17.50	21.50				18.05	00.00	19.00			A COLOR	77.00	1000			17.00				Impl.	ı. Furni./ Farm		
	148.05	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	3.90	5.15	5.90	7 35	3 90	15.20	15 20	5.55	24.5	5.20	12.90	10.00	12.90			5.20	3.30	5.20	5.20	2.90	12.90	1		10.00		000					290			12.90		0.00			ji.	3 5	p./ Works	
	93.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	3.00	000	9.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9,00	000	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00			1			000				ks Libr.	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			8	0.00			0		3	0.00		0.00	3		000			0.00	I ibr Vehicle
	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	Sile		0.00			0.00	0.00	0.00					0.00		0.00			0.00		6	100	cle Total
	250.05	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	10.90	12.15	12.90	14.35	10.90	24.20	24.20	8.55	0.00	16.45	14.20	12.90	13 00	12.90	15.20	15.20	3.30	0.00	14.20	14 20	18.90	23.90	23.90	20.30	4.00	4.00	0.00	0.00	15.90	2.90	5.90	2.90	2.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Service of the servic	•		
	4122	10.4044	4464 01	0.00	0.00	00.7	134.19	153.72	115.00	124.69	86.38	83.69	275.40	300.84	277.21	261.67	154.56	164.58	182.75	191.92	184 88	173.76	184.65	287.32	285.88	111.20	112.61	197.70	232.04	242.38	110.81	157 17	312.04	136.92	120.93	176.85	262.45	278.64	247.86	266.05	234 28	109.61	214.64	135.53	145.01				Total

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi VishwaVidyalaya, Gwalior

//Order//

Date: 31/13/2023

J.compt/bud/Allot/2022-23/36 42

राजमाता विजयाराजे सिंडिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु वर्ष 2022-23 के लिए निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:--

No. ಭ 19 18 Shivpuri 17 Sheopur 12 Mandsaur Total (B) RVSKVV Total (A) RVSKVV ATICs, Gwalior DES RVSKVV Khandwa Guna Shajapur Khargone Jhabua (TSP) Gwalior Dhar (TSP) Datia Bhind Badwani (TSP) Ashoknagar Name of the KVK's Dhar II Rajgarh Morena Neemuch Agarmalwa Pay & Allow 3424.715 271.000 263.095 115.010 127.760 137.770 119.530 248.270 215.180 98.710 138.230 111.520 200.770 225.790 136.740 174.370 67.150 167,730 TA 23.45 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 HRD Other then TSP 11.00 198.56 10.00 5.00 Cotn. TSP 13.00 65.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Water Testing Lab. Recurring Contingency 0.00 0.00 Integrated Farming System 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Specializ ed KVK 0.00 0.00 0.00 Informati **Technolo** on 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 For Streng thening net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e-Farmers 0.00 0.00 Rev. Fund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 equipments-0.00 1.60 0.00 0.00 16.80 Non-Recurring Contingency Farm implement/ implements Tractor with 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Furnishing Furniture & Works 0.00 0.00 0.00 0.00 Lib. 0.00 0.00 Vehicle (JEEP) 0.00 0.00 0.00 27.000 0.00 27.00 0.00 0.00 **Grand Total** 259.970 131.410 140.360 275.095 137.630 180.630 159.870 90.250 229.830 268.360 114.310 3801.525 214.770 241.190 66.230 283.000 163.840 195.370 148.740 125.370 151.830 124.290 99.180

नोट:- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोन-7 ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर से 2022-23 के लिये प्राप्त राशि के अनुसार ही राशि विमोचित की जावेगी, तथा जट RE होने पर आवंटन में पुनः संशोधन (अधिक या कम) किया जावेगा।

4

No./compt/bud/Allot/2022-23/ $\Im M3$ 1.) The Director Extension Services, RVSKVV, Gwallor

5925

PS To Hon'ble V.C., RVSKVV Gwalior All KVK, RVSKVV Gwalior....

The Release /Section officer, RVSKVV Gwalior

Date: 31/03/2023

COMPTROLLER

					- :	4	43	3	74	3	4	4	ŧ	3	Sc	3	38	T	37		36		35		34	0	3	32	3	31		30	10	20	28		27		26		200	24		23	=			No.	0	
Total RVSKVV BE 2022-23		ATIC RVSKVV		DES RVSKVV		Dhar-2 (TSP>50%)	Agaimaiwa	Accompliance		Alirainur (TSP>50%)	Ojaiii		OHIPPOH	Shivnuri	Sileopui	Charles	Shajapur		Rajgarh		Neemuch ·		Morena		Mandsaur	50%)	50%)	Khandwa (15P225 &	TCD-25 &	31 Jhabua (TSP>50%)		Gwalior	Conic	Gina	Dhar (1SP>50%)	TOD FOR	Dewas		Datia	Cillia	Rhind	Badwarii (15175070)		Ashoknagar	KVK RVSKVV				Name of the	
V BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	RE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	RE 2022-23	DE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23	RE 2022-23	RE 2022-23	BE 2022-23			BE 2022-23	RE 2022-23		
3306.35000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.79000	91.71000	77.62000	105.60000	41.93000	44.53000	225.79000	228.83000	200.77000	201.79000	111.52000	118.21000	136.74000	131 53000	474 37000	151 35000	134.39000	2/1.0000	234.69000	67.15000	71.96000	137.77000	144.26000	167.73000	161.00000	131.12000	263.09500	256.97000	127.76000	106.49000	115.01000	109.52000	225.56000	215.18000	214.69000	245.56000	223.80000	98.71000	91.48000	126.65000	200000		Allow.	Pay		
11.50				T					1.30	0.50	1.80	0.50		0.50				0.50	100	0.50	105	0.50	0.00	0.50	0.50	1.30	0.50	1.10	0.50	1.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.10	0.50	0.70	1.05	0.50	0.80	0.50	1.00	0.50	100	0.50			ΤA	10 A 20 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A	No. of the last
				T			0.00		0.00						0.00						0.00		T	T	0.00					0.00	T	T				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			HRD		Constitution of
	1 00 138 00							188	2.00		_	1	_	100	11.00		0 11.00		_			T	T	800				0 11.00		2.00		T	T	8.00				8.00		[_	8 00	TSP	then	Co		
	-			5.00 0.00	L	T					T		0.00	T	0.00			0.00				T		000	T	T					Ţ	0.00						0.00	T	T	T				0.00		3	Cont.		
				0.00		I	T				T	T			1		Carlo.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				П			0.00							0.00	1	0.00		0.00	0.00	Lab.		Water	Recurring Contingency	-
		2	0.00		000					0.00		0.00		0.00				i X								0.00		100			0.00		0.00		0.00	N. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	System	Farming	ed	Integrat	- ntingo
0.00	1000	1000	Pr. mr.		0.00				T		0.00	The second							0.00	38	42 TO 32	100 May 200	0.00	8	6	0.00			1000				0.00		0.00	100		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	MAN	zed	Speciali	icy	nor
0.00	0.00	:	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00							8	8		0.00			0.00	1				100			0.00					M		5	0.00		100	0.00	ation			Techn	
		80			W.		2008	0.00	T		0.00		0.00		0.00		0.00	1	0.00			1	20	0.00		0.00					100				0.00				100			0.00			0.00		hening	strengt	For	
0.00 0.00		0.00 0.00			13	0.00 0.00	3							0.00			0.00				0.00	L		_		0.00		0.00				3	0.00		0.00			0	0				0.00	16			rs .	e- Farme		
0.00	10	0.00	1	0.00		1	0.00	5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1	0.00		T		3	0.00		0.00		0.00	18	0.00	0.00	100	0.00		T	5					0.00					Fund	Rev.	
294.07000		0.00000						_				13.80000		_		,		12 00000		43 0000	1	1	_		1					3 50000	13.50000	12.00000	8.50000	11.00000	8.50000	15.60000	13 50000	8.50000	13.05000	8.50000	11.80000	8.50000	14.00000	12.00000	8.50000			Gen.	Total	TO A CONTRACTOR
00.00									00.8	00 8.00	00 8.00	00 1.60		100	8					0.00	1	T			1					0 0 80						100	0.80			13				0.80			lmpl.	Furni./	Equip./	
						160.000								78		8.8kg		THE STATE OF			0.00		0.00	1	100	1880	S. C. Carlo		100	0.00		100	1	0.00	9			0.00		100	6		0.00	0.00	0.00				Works	AOII-IVECT
Г	000 000		0.00	0.00		100		2	0.00 0.00	8	0.00 0.00			0.00 0.00	-		0.00 0.00				0.00		000		0.00			0.00	-5	0.00		T				-514		0.00		13			81		0.00	18			Libr.	and a
						1000	100	0.00	The same	1879						100							1	0.00				9.00				0.00					3		0.00						0.00				Vehicle	Mon-Mecaning Commission
1		1		0.00									Ι.		1	97	200	0.00						0.00		0 11.60	N. Car	100				16.60					98		0.00		1			0.80		080		Cap.		
		36	SILS PUR		7.00000	77	1	99.18000				2				18				195.37000					243.19000			162.56000	1				275.09500	T		W. W.				229 83000			N. B.	NI NI		135 95000			Total	Table

BE
Qo
RE
2021
1-22
ATARI,
JABALPUR
둤

				I	1	4	43		42		41		40		39	90		3/ 1	24	36		35 N		34 1		33 8		32 K	9	2	00	3	. 62	3	28 D		27 D	-	26 D	67	2	24 B		23 A	= 5	•	NO.	Ś
Total BVSKVV		ATIC RVSKVV		DES RVSKVV	Digi + (10. 00.0)	44 Dhar-2 (TSP>50%)	Agarmalwa		42 Alirajpur (TSP>50%)	100,000	41 Ujjain		40 Shivpuri		39 Sheopur	Olajapui	Shaianir	Kajgarn		36 Neemuch		Morena		Mandsaur	50%)	Khargone (TSP>25 &	50%)	(handwa (TSP>25 &		31 Ihahira (TSP>50%)	GWalloi	Swalior	Guna		Dhar (TSP>50%)		Dewas		Datia			24 Badwani (TSP>50%)		Ashoknagar	KVK RVSKVV		CHOINANS	Name of the
N BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RF 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	RF 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RF 2021-22	RF 2021-22	DE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22	BE 2021-22	RE 2021-22	BE 2021-22			marity state	
2265.00	T	-				60.00	69.00	60.00	35.00	35.00	170.00	150.00	435.00	76.60	55.00	100.70	95.00	100.00	100.00	98.00	05.00	160.00	95.00	100.00	113.00	105.00	121.00	120.00	94.15	100.00	180.00	180.00	75.00	70.00	95.00	125.00	135.00	160.00	150.00	160.00	150.00	00.00	80.00	85.00		Allow.	90	Pav
23.00		T	T			1.00				T	T	T	0.50				1.00	T	1.00		1 00						0.50	1.00	0.50					1.00	1.00	0.35	1.00	0.50	1.00	0.85	1.00	0.50	0.25	1.00				AT
1.00	1000					100		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				HRD.
201.00			2.00	1	TO SOLVE					0.00		12.00	1	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	12.50	12.00	12.00	14.00	12.00	12.05	12.00	12.00	12.00	2.00	0.00	13.00	12.00	11.50	12.00	4 00	12.00	11.00	13.50	12.00	12.00	12.00	1.00	0.00	11.00	200	TSP	Other	Cont.
T	0		0.00		1		86	-				0.00		0.00			18		100		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	12.00	0.00	3		TSP	
T			0.00				016.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	_	Water Testing F	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000		Farmin	Integrat
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	KVK 2	zed In	:
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ation	Inform he	
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.8	3	0.00		18 18 1	1	1000	1700	0.4	0.00	net	hening Fa	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188			0.00		3				1				1			0.00			1	1	0.00								0.00			3	-	Farme Fully	e- Rev.
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				P. S.	0.00			189	Ne St		0.00			-
283.95	285.00	0.00	0.00	3.50	3.00	11.85	13.00	10.00	13.00	13.00	12.50	13.00	12.50	13.00	12.75	13.00	12.50	13.00	12.00	13.00	13.00	12.65	12.00	12.25	13.00	12.75	13.00	12.50	13.00	10.00	13.50	13.00	12.00	13.00	12.75	13.00	12.35	12.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.25	12.00			Gen E
7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	0.00	4 50	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mpi.	Farm	Equip./
46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	42.70	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			WOINS LIBI. VOIIGIO
			0.00				0.00	1	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00			
41.1	5444	46 70	0.00	0.00	0.00	43.20	42.70	5.50	4.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cap.
1		250	0.00	10011001	1	12			100		48.00		100	148.05			113.20	STORES.		100				172.00		No.	118.00	133.50	133.00	108.15	113.00	194.23	193.00	87.00	107.75	108.00	138.85	147.00	174.00	163.00	172.85	163.00	100.00	92.25	97.00			

		T			44		43		42		41		40		39	38	3	37		36		35		22	33		32	0		30		29	28		27	26		25	1	24	23		The second		No.	S
Total RVSKV		ATIC RVSKVV		DES RVSKVV	Dnar-2 (1-3P-507/4)	DE LO CHED LEGOL	Agarmalwa	SERVICE STATE OF THE PROPERTY	Alirajpur (TSP>50%)		Ujjain		Shivpuri		39 Sheopur	Snajabur		Rajgarh		Neemuch		Morena	Wildingson.	Mandeaur	Khargone (TSP>25 &	50%)	Khandwa (TSP>25 &	ollabora (101 700%)	habita (TSD>50%)	Gwalior		Guna	Dhar (TSP>50%)		Dewas	Datia		Bhind		24 Badwani (TSP>50%)	Ashoknagar	KVK RVSKVV			ZPD/KVKs	Name of the
Total RVSKVV BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-27	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	NE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	BE 2020-21	RE 2020-21	חבר החברה הו				
1688.81000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.00000	31.21000	33.05000	22.05000	35.35000	133.10114	128.52000	66.50951	62.42000	57.37040	55.08000	74,31088	67.32000	71.21143	55 08000	105.26000	123.11781	119.34000	47.64825	44.06000	105.34989	97 00000	100.37000	114.27839	102.82000	184 12780	83.25812	70.38000	83.99679	131.09953	100.37000	114.34489	91 80000	61.20000	75.02671	60.59000	70.87686	63 65000		Allow.	Pay	The second second
34.00	1	0.00		1.00	0.90	1.50	0.40	1 50	0.50	1 50	08.0	0.50	1.50	0.20	1.50	0.60	1.50	1.00	1 50	1.50	0.10	1.50	0.30	1.50	1.00	1.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.00	1.50	0.40	1.50	1.50	0.10	1.50	1.50	0.50	1.50	0.30	1 50			TA	100
0.50		0.00	4				0.00									0.00		0.00					0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000			HRD	
214.80	0.00	0.00	1.30	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	3.40	200	13.00	11 00	13 00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	13.50	14 00	10.00	3.00	6.00	12.60	10.00	10.00	3.00	3.00	10.00	14.00	10.00	11 00	2.00	2.00	11.00	10.00	TSP	then	Cont.	
	0.00			1	18	Jan 1		1						0.00	100	S.					0.00			0.00		0.00	T		10.00	0.00	0.00	0.00		10.00				0.00	10.00	10.00	0.00	0.00			ıt.	
	0.00			1		ACRES OF						0.00		0.00	4		2018		0.00	0.00	0.00	NO.	0.00			0.00		0.00			0.00		Tarie I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lab.	Testing	Water	curring
	0.00		0.00		0.00	390	100	0.00	100	9				0.00	1	1	SAC.	1000			1		0.00				0.00		15/40		0.00				0.00			0.00			1	0.00	9	F	ed	Recurring Contingency
		2010		T		K		S. Link		Jan.	5			0.00			0.00	200	333				0.00				0.00		1			0.00			0.00		3/1/2	1	0.00	T		0.00	NVN	zed	Speciali	ncy
7	0.00	T	0.00	T	0.00 0.00			J. Company							0.00		-		0.00		3		0.00			П		0.00			0.00		1		0.00				0.00		0.00	0.00	ation		ology	Techn
		1	0.00	T	1			0.00		1					0.00		8	3					0.00	T	1			0.00	8	3	0.00	100							0.00		T	0.00	Her		(S	For
				0.00		Т		1		٥).					T	0.00	П						0.00	T		100		0.00	T				0.00	П		0.00				0.00		0.00		rs of		
0.00	9	T			0.00		13	0.00	1	0.00			0.00			0.00				1			0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Fund	Rev
			Total Control	1.90	4 00	12.50	10.40	11.50	12.90	12.50	13.80	12.50	13.50	11.50	11.20	11.50	11.50	11.00	11.50	12.10	11.50	12.10	11.50	11 30	14.50	15.50	11.20	11.50	17.50	13.10	11.50	11.00	11.50	14.50	14.10	11.50	11.50	12.50	11.50	12.50	13.50	11.50				Total
			0.00	1	0.00	-	0.00		3					12		0.00		i R	1			18	3	8					0.00				0.00		П	0.00	0.00		3	9	0.00	0.00		Farm Impl.	Furni./	Equip./
149.69			0.00			36.00	T			Т			1				0.00		0.00					0.00		0.00				0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Works
0.00			0.5	0.00		0.00		0.00		T		Т	3				0.00		0.00								0.00				100		0.00			0.00	T	T			0.00		100			Lib.
32.00	18	100		8		0.00		T	T	0.00				8.00	100	8.00		T		8.00					0.00		September 1			0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Works Lib. Vehicle
	0 155.05		78.5	0.00	П		40 69		27 30	T			8.00					0.00		8.00			Sec.		0.00					0.00			0.00			0.00					0.00	8.00			Cap.	Total
23/9.90763	1		ALTI-CES OF	0 1.90000			84.40000		71,94000				88.00951	100	E S	1			STATE OF	00.1000		L		District Co.		119 84989				120.32000		6.18	THE REAL PROPERTY.	94.07000		111.87000	128.44489	94.69531	72.70000	87.52671	74.09000	90 17686	2000			Total

BE & RE 2020-21 : ATARI, JABALPUR

Orcher No. A. A. /2019-20/6326-6327 (3-114) 30/3/2020 Rs. In lakhs

R.V.S.K.V.V., Gwallor Comptroller

Diractor

	T		T			44		43	17.00	42		41		40		39	6	age of	3/		36		35		34	33		32		31	5	3	29		28	-	97	26		25		24		3 =			N .	0
Total RVSKVV		ALIC KVOKVV	ATIO DUCKA	DES RVSKVV		Direct_1.255-80%)		43 Alirajpur (TSP>50%)		Againalys		Ullah .		Shapud		Sheopur	Cinjuba	Shaiapur	Notice of the last		Neemuch		Morena		Mandsaur	50%)	SU'S)	Khandwa (TSP>25 &		Jhabua (TSF>50%)	Citation	Gwallor	Girna		Dhar (TSP>50%)		To bak	Datia		Bhind .		24 Backst (Tall >50%)	Vallouida	KVK RVSKVV			ZPD/KVKs	Name of the
V RE 2019-20	BE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BE 2019-20	RE 2019-20	BF 2019-20				
	100	0.00	0.00	0.00	23.00	12.00	19.00	18.00	29.00	12.00	128 65	120.00	73.50	70.00	49.25	48.00	63.00	55.00	47.00	75.00	00.08	212.00	117.00	A4 40	75.00	81.75	20.00	90.00	99,50	90.00	134.00	128.00	68.00	75.00	71.00	108.00	105.00	86.00	100.00	70.00	65.00	63.00	70.00	90.00		Allow.	Pay	
24.44	22.50	0.00		100	0.01	1.00	0.81	1.00	0.81	1.00	1.60	1.00	1.00	1.00	1.25	1.00	1.00	1.00	0.81	1.00	1.25	1.25	1.00	1.00	1.00	1.10	100	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	1.20	1.00	1.25	1.00	1.00	100	0.75	0.75	1.00	1.30	1.00			TA	
				1.00			T		0.00			18	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			품	
	1					0.00	T	83.00		Sound								9.00	200	8.1	11.00	L	9.00	11.00	9.00	12.00	9.00	7.00	4.00	3.00	13.50	9.00	9.00	3.32	3.00	14.70	10.00	10.00	9.00	10.00	1.00	3.00	11.50	9.00	TSP	Other	Cont.	ALTERNATION OF THE PERSON OF T
		3	0.00			8.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	0.00	0.00		TSP		
1	MEN	T.	0.00			0.00						T	T						100				0.00	100		0.00		0.00			0.00			0.00				N N		0.00	800		No de la	0.00	Lab.	Testing	Soil &	Recurrin
			0.00	1		0.00	T	T	100	0.00			1	9			18						0.00			0.00		0.00			1	0.00		0.00				0.00		0.00			ă	0.00	System		Integrat	Recurring Contingency
0.00	SAME.	380	0.00	N. N.				0.00	T	0.00	T		T	T		T					0.00		0.00	Y E	1				0.00		8		10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NAV	zed	-	ency
000	1		0.00				1	0.00	T	0.00				1						0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	duoil	Inform	Techn	
0.00		0.00	0.00						T		0.00	1		T		0.00				0.00				0.00		1	0.00		0.00				N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Her	hening	For	
0.00		0 0.0	0.00	0.00							0.00					0.00					0.00			0.00		16	0.00		0 19	0.00	T		3		0.00		1		0.00			0.00				Farme rs	٩	
0.00		0.00	1	0.00			П		T	3						0.00	5 6	T			0.00			0.00			0.00			0.00					0.00	1	1	18	0.00		0.00	0.00	0.00	133		-	Fund	
285.40		0.00		200		100									1	18.75					12.25	10.00	14.25	10.00	12 00	13.10	10.00	11.25	10.00	18.25	14.75	10.00	9.75	9.75	17.52	14 00	11.00	11.00	10.00	11.25	10.75	13.75	12.80	10.00	The state of the		lotal	
i,	21.00	T	-								1	0.00		T			0.00	T	T					8	0.00		4.00			1.00		T		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		Farm	Furni/	-
				0.00			0 27.00			0 83.79	2						0.00			1	0.00		27.68	3	0.00			1000	3		1		0.00		9.00		T		25.50	STATE OF			0.00				CVIOAA	Non-Recui
0.00		-	1	100	0.00		-					20					0.00						-3		0.00		Т	100				0.00	10		0.00		0.00		1	20				0.00				ring Co
0.00		T	0.00		17	0.00		0.00	M	0.00					П	1			0.00	T		0.00	Til.			0.00		a No				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			The state of	on-Recurring Contingency
T	308 96		20.00	T	0.00			112.68				0.00		0.00			9	0.00		0.00		0.00				10.00		18		1.00		0.00	1		10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	1.00	1.00	100	2			Total
г		2	1		5.50		0 55.00			_			1			75.00				55.00	1.					95.00	T					148.75						116.00	Τ.		80.75	9		83.80	10000			Grand

BE & RE 2019-20 : ATARI, JABALPUR (31.03.2020)

Mandi Board Receive

	RACCEIVA	8			F13 13	fig in los.
Project	2019-20 2020-21	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 2022-23 2023-24 G Total	G Total
	621.83	699.34	351.41	0.00	0.00	0.00 1672.58
Project Biotechnology lab	00.170	00000				
A originating Business Management Project	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anditorium & Sangoethi Hall	428.26	428.26 588.00	0.00	44.70	0.00	0.00 1060.96
Auditoffull & Sangosui Luir Taiv Proudhyogik Kemdra Bhandar	0.00	288.53	443.63	32.39	0.00	0.00 764.55
Jaly Floudilyogis isomena Dimises. G 1:: 6 1 to Hebrid Beei Ulmadan ke live Unnat Kendra	0.00	0.00	0.00		0.00 112.00 112.00	112.0
abji tasato ke tiyotidi beej edpasani ne nje e	0.00	00.00	0 00		0.00 196.88 196.88	196.8
Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan	0.00	0.00	0			
	1050.09 1575.8	1575.87	795.04		77.09 308.88 3806.97	3806.9



389245540.00	15510000.00	11547223.00	138761174.00	126666128.00	96761015.00	
4310000.00	4310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan
11200000.00	11200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke liye Unnat Kendra
84252155.00	0.00	3239082.00	67619169.00	13393904.00	0.00	Jaiv Proudhyogik Kemdra Bhandar
109029803.00	0.00	4566174.00	8754395.00	57483450.00	38225784.00	Auditorium &Sangosthi Hall
11287382.00	0.00	3741967.00	912419.00	3281180.00	3351816.00	Agriculture Business Management Project
169166200.00	0.00	0.00	61475191.00	52507594.00	55183415.00	Project Biotechnology lab
G Total	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	Project
		200	iture	Expenditure		

Adhosarachna ka Punaruddhar thha prastavit naveen niraman

karya

To Cq. No. /Date Amount	0.00	0.00			177.41		0.00		1774.12	
Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount				St						
Receipt 10% V.V. Expenditure Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 177.41										
Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount					1 1 1 1 1 1				1//4.12	A/C NO.21160110035108
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. /Date Amount					177 41				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount										
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount				MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T						
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount										
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure	Amount	_	WILLIAM		Share	D.D. No.	Amount	Letter No.	Amount	Project Name
	Balance		Expenditure		10% V.V.		Receipt		Sanction	

Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke liye Unnat Kendra

0.00	11200000.00			41.66	<u> </u>	112 00	416.60		-
2									
	TT700000.00	CoH Mandsaur UUUUU1/12.U3.2U24 11200000:00	CoH Mandsaur		112.00 14.12.2023	112.00	00.0T	A/C NO. 21160110033113	
	11300000 00	200001 12 02 2021		41.66			116 60	חומים ביות	_
									7
The state of the s	ATTACHMENT OF THE PARTY OF THE			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS					
									-
THE STATE OF THE S		cd. 140. / Date	c	Snare	t D.D. No.	Amount Letter No. Amount D.D. No. Share	Amount L	Floject Idailic	-
Amount	Amount Amount	Co No /Date	70	25	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN	THE RESIDENCE THE PROPERTY OF	1	Droioct Name	-
2		Expellatare		10% V.V.		Receipt	Sanction		-
Ralance		Two salities		THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF				

Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan

	The state of the state of the state of		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSONS ASSESSMENT	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE				343.44	
0.00	4310000.00			92.92		196.88		020 22	
	310000.00	CoA Indore 000003/19.02.2024 310000.00	CoA Indore				4		
	200000.00	000000/18.12.2023 2000000:00	DRS						
	DO DODOOO	20000 /10 17 7073				10000			
	2000000.00	000001/18.12.2023 2000000.00	DRS	1	196.88 02.11.2023	196.88		929.22	A/C NO. 21160110035092
	200000			97 97)	
			The state of the s	CALIFORNIA DESCRIPTION DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMP					
							Character and the second	TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE	
Control of the Contro		Cd. 140. / 2000		Sildic	Amount Letter No. Amount D.D. No. Silais	Amount	Letter No	Amount	
Amount	Amount Amount	Co No /Date	7	Charo		The same of the sa	STREAM CONTRACTOR OF THE PARTY		Project Name
		- April - Control - Contro		TO% V.V.		Receipt		Sanction	
Balance		Evnenditure		200V VVV	The state of the s		The state of the s	The second secon	
			Charles and the second						

26763681.00 Equipment 25743913.00 Equipment 17425191.00 Equipment 44050000.00	26639					1	
	10044	087939/28.12.2021	COA Gwalior				
	7,102	087938/08.06.2021	COA Gwalior				
	1742	08/95//14.12:2020	COA Gwalior				
	25743	087037/11/17/2020	COA GWallor				
	26763	087936/20.05.2020	COA Gwalior				
	4708	087935/19.02.2020 समायोजन	COA Gwalior				
	504/4	087934/16.05.2019	COA Gwalior				
10	14941	आयोजना मद से भुगतान	E E Gwalior	+C.00	351407	8	
	12024	087930/13.10.2017	E E Gwalior	251 40742 00 08 12 2021	251 407		
		08/323/03:00:202	E E Gwalior	17426000.00 01.03.2021	1742600		
2136681.00 Fauipment	2136	087829/09 06 2017		0.00	25/4400		NO.21160110015056
14832844.00 Stn Kulling Bill	14832	087928/09.06.2017	E E Gwalior		257400		A/C
	171100	087927/17.03.2017	243.00 E E Gwalior			2430.00	BIOTECHNOLOGY LAS
14190841.00 5th Running Bill	14190	1100000		0.00 03.06.2019	/000000.00		FROJECT
	15665296.00	087926/26.12.2016	E E Gwalior				DBO IECT
4th Running Bill			1		55183000.00		
Construction	10816028.00	087925/24.10.2016	F F Gwalior				
3rd Running Bill				29.10.2016	30000000.00		
3949801.00 Construction	39498	087923/23.06.2016	E E Gwalior	Core Banking			
2nd Running Bill			r	25.07.2016	1500000		
Construction	3669/95.00	087922/16.05.2016	F F Gwalior	Core Banking			
1st Running Bill				20.03.2015	5000000.00		
	5000000.00	087921/08.02.2016	F F Gwalior	Core Banking			
Advance Payment of							
		Cq. No. / Date	V.V. To	D.D. No.	Amount	Amount	Project Name
Hacel con	Amount		10%			Canction	
Hand/Rill No.		Evnenditure	Evnon	110000			

DPR

	DPR A/CNO.21160110020760		Project Name	
611.00	3	611.00 1st	-	Sanction
	2nd 3rd	st	Letter No.	
54966670.00	2766670.00 14.03.2018	35000000.00 09.12.2016	Amount D.D. No.	Receipt
6110000.00		6110000.00	Stidie	10% V.V.
		35000000.00 09.12.2016 6110000.00 EE, RVSKVV 592/41/05.05.2017	100000000000000000000000000000000000000	Expenditure
52200000.00		17200000.00	350000000.00	Amount
52200000.00 8876670.00				Balance Amount

Auditorium & Sangosthi Hall

												M/CNO.ZIIOOXXXXX	* /CNO 91160110027950	AUDITORIUM & SANGOSIIII HALL	I WILLIAM					Project Name			
								I								TO:COTT	1100 61		L		Sanction		
											The second secon			The second secon						Letter No.		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
106095798.00								A STATE OF THE STA				4469798.00 17.05.2022	10000	23600000.00 22.01.2021	35200000.00 11.09.2020		42826000.00 26.02.2020			Amount	Keceipt		
												17.05.2022	מבחר אחר א	22.01.2021	11.09.2020		26.02.2020			D.D. No.			
11896000.00																	11896000.00			Share	2	10% V.V.	
ō	1	FF RVSKVV	EE, RVSKVV	EE, RVSKVV	בב, וועסונים.	EE BUSKVV	EE, RVSKVV	בב, העטועי	LE BINSKIN	EE, RVSKVV	EE, NYJNY	EE BYSKWY	EE, RVSKVV	בר, וועטוועיי	EE BYSKYY	FF RVSKVV	_		THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON OF T	10	To		The state of the s
		000012/16.06.2022	SAC			000009/06.10.2021	000008/24.03.2021	00001	000007/24.02.2021	000006/17.12.2020	00000	000005/12.11.2020	EE, RVSKVV 000004/14.10.2020	2000 01 2000	000003/14.09.2020	FF RVSKVV 000002/12.06.2020	000001/03.03.2020				Co. No. /Date	Expenditure	
109029803.00		45661/4.00			2630972.00	5115806.00	5900524.00	00 165999	1062171.00	4592045.00	4500000	6813345.00	TTOTOTE	11615127.00	19968929.00	7465511.00	38225/84.00	00 107757			Amount	-	
00000000	5833304.00																				Amount		Balance

Jaiv Proudhyogik Kendra Bhandar

				9250000.00	2.00	76455082.00			
925005000	84252155.00 9250050.00			222000 00					
0350005 00	3								
					THE RESERVE OF THE PERSON OF T				
			COA Owallo		3239082.00 17.11.2022	3239087			♣/CNO.21160110027967
	3233002:00	000004/30.01.2023	COA Gwaling				STATE OF THE PERSON OF THE PER		ONLY THOUSAND THE
	2729087 00	2739087 00	00.		44363000.00 13.09.2021	44363000			TAIN DECLINATION OF IN KEMDRA BHANDAR
	JCT0000012	000003/14.10.2021	COA Gwalior			10.00			
	57160503 00	57160503.00	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	Section of the State of the Sta	15459000.00 01.03.2021	15459000			
	10,0000000	000002/08.06.2021	COA Gwalior		2002			223.00	
	15458666.00	15458666.00	00.	9230000.00	13394000.00 24.06.2020	13394000		925 00	
	T333304.00	COA Gwalior 000001/21.08.2020 13333307.00	COA Gwalior	0350000 00 0	مدمد عميه	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	District Colonial Col	
	12202001 00	1000000	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSMENT	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P					
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.				-	-	reffet ino.	Amount	110,000
			10	Sidic	Amount D.D. No.	Amoun	Tottor No		project Name
Millouis	Amount	Cg. No. /Date	To	charo	The same of the sa	Mercip		Sanction	
Amount		- 1		10% V.V.		Docaint	The same of the sa	THE PERSON NAMED AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND POST OFFICE ADDRESS OFFICE	
Baldlice		Fxpenditure		THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.					
Polonco	The latest designation of the latest designa					The state of the s	AND AND SECURE AND AND ADDRESS OF THE PARTY	DISCUSSION OF THE PARTY OF THE	
Distribution of the last of th				The state of the s	William Control of the Control of th	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	A 10 1	A 11 60 60	

Renovation & extension of Agriculture College

				Turk is a second of the second							7	A/C NO.21160110015476	OF AGRICULTURE COLLEGE	RENOVATION & EXTENSION									Project Name	S	
													1000.00							9			Amount	Sanction	Name and Address of the Owner, where
																		Dt. 25.05.202	3/1/14/180/325	3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	Dt. 25.05.2012	B-3/14/14/543	Letter No.	Re	NA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY
883.98														CT.C7T	122 12	52 85 2	300.00 2		Core 200.00 Banking	100.00 Banking 20.03.20	2	108.00 048018 Dt.	Amount D.D. No.	Receipt	-
														120.10 27.00.2017	7 06 2017	57 85 29.05.2017	300.00 28.12.2016	22.05.2013	Core Banking	Banking 20.03.2015	24.05.2012	48018 Dt.	D.D. No.	_	Secretary Secretary
100.00																							Snare	TO/0 4.4.	10% \ \
0		E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwallor	E.E. GWallol	E.E. Gwalior	E E Gwalior	F.F. Gwalior	CoA Gwalior	F.E. Gwalior	F F Gwalior	F.E. Gwalior	CoA Gwalior	CoA Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Owallo	E E Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior		E.E. Gwalior	10	4	
		088273/31.03.2017	088072/	11/0880	000071		088069/	- 1	$\overline{}$	088065/16.05.2016	088064/31.03.2016	088063/01.02.2016	088062/02.01.2016	088061/09.07.2015	598834/31.03.2015	//4342/30.07.2014	7100 70 00 7014	774340/30.03.2014	774339/29.03.2014	774330/09.10.2014		774329/24.07.2012	cd. inc. / con-	Ca No /Date	Expelialiaic
913//001/0	01077661 00	7 524/495.00	1	1		6913175.00	351096.00	9						4616946.00 Equ	146/91/.00	2007700	1061782.00	5824567.00	6169311.00	1678999.00		452860.00		Amount	
100	5	Č		0	0	0	0	0	DEqu	NBCC			Equ	Equ										Amount	

Agriculture Business Management Project

-1/51462.	26071462.00 -1/51462.00			2520000.00		21800000.00			
		594993/ 10.07.2022	DD/CC						
	203462.00	+	בר, וועטוועי						
	296216.00	_	EE BYSKWY						
	3242019.00	594991/28.04.2022	EE, RVSKVV						
	540633.00		EE, RVSKVV						
	5/1/04.00		EE, RVSKVV						
	3281100.00		EE, RVSKVV						
	3237180.00		EE, RVSKVV						
	3026096.00	594985/22.11.2019	EE, RVSKVV						
	20200000		EE, RVSKVV		No. of the last of	0000	3rd		A/CNO.21160110015858
	560535 00	004000/01:00:10	EE, KVSKVV		14.03.2018	8000000.00 14.03.2018			MANAGEMENT
	857038.00	55 BYSKYN 594983/02.08.2018	ייי פיינפאייי		77.00.2017	800000000000000000000000000000000000000	2nd		GRICOPI ONE BOSTICE
-	3/14051.00	EE. RVSKVV 594982/13.11.2017	E. RVSKVV		2002017	000000000	1st	252.00 1st	ACRICIII THEE BUSINESS
	371 1001 00	2520000.00 EE, RVSKVV 594981/20.09.2017	E, RVSKVV	2520000.00	19 12 2016	ESONON ON 19 12.2016	A STREET, STRE		
-	0653686 00					Control Constitution of the Constitution of th			
		od.	10		D.D. No.	Amount	Letter No.	Amount	Project Name
Amount	Amount	Co No. /Date	1	Share		. Coole		Sanction	
Balance		Expenditure		10% V V		Receipt			

Project Sehore Road

	11321000.00			11.93	36	106.36	119.31	
0.00	11031000 00							
	2351000.00	088085/03.07.17 2351000.00	E.E. Bhopal					
	11000000	088083/12.01.10	E.E. Bhopal		22.59 15.05.2017	22		
	1193000.00	20002/12 01 16			16.04.2016			
	3577000.00	088082/12.01.16 3577000.00	E.E. Bhopal		77 Core Banking	35.77		015513
					CTO7.00.CT			&/CNO.21160110
	4800000.00	088081/12.01.16	E.E. Bhopal		48.00 Core Banking	48.		SEHORE ROAD
				11.93			119.31	
		cd. 140. / 200.	100	Snare	t D.D. No.	Amount Letter No. Amount D.D. No.	Amount L	Project Name
Amount	Amount	Ca No /Date	7	2	71	Vecelbr	Sanction	
Dalaire		Expenditure		10% V.V.	÷	Dogi		
Dalanco		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T						

	Anterior special contraction of the second s	700000000000000000000000000000000000000		243.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. Cq. No. /Date Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. Cq. No. /Date D.D. No. Cq. No. /Date Amount D.D. No. Cq. No. /Date Amount D.D. No. Cq. No. /Date D.D. Date D.D.		266202857.00		COA Gwallor			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. Cq. No. /Date Cq. No. /Date Amount D.D. No. Date D.D. No. Cq. No. /Date Amount D.D. No. Date D.D.		44050000.00	087939/28.12.2021	COA Gwalior			
Sanction	Ldale	1/425151.00	087938/08.06.2021	COA Gwalior			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. D.D	Fallipment	47/75/00	087937/14.12.2020	COA Gwalior			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. Core Banking E.E. Gwalior 087921/15.05.2016 3969795.00 D.D. 25.07.2016 E.E. Gwalior 087923/23.06.2016 10816028.00 D.D. 26764000.00 21.04.2020 E.E. Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 D.D. 26764000.00 21.04.2020 D.D. 2020 E.E. Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 D.D. 25744000.00 21.04.2020 D.D. 2020 D.D. 2	Equipment	257/3913 00	087936/20.05.2020	COA Gwalior			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. Core Banking Sonoonoo.00 20.03.2015 E E Gwalior 087921/08.02.2016 3969795.00 Core Banking E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00 D.D. 2019 E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 D.D. 2019 E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 D.D. 2019 E E Gwalior 087925/24.10.2016 1190841.00 D.D. 2019 E E Gwalior 087928/09.06.2017 1490841.00 E E Gwalior 087928/09.06.2017 2136681.00 E E Gwalior 087929/09.06.2017 12024996.00 D.D. 2019 E E Gwalior 087929/09.06.2017 12024996.00 D.D. 2019 D.D. 201	Equipment	26763681.00	08/935/19.02.2020 생태대의	COA Gwalior			
Sanction Amount Line 10% Expenditure Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq; No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq; No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq; No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq; No. /Date Amount Sononoon.on (20,03,2015) Core Banking (25,07,2016) E E Gwalior 087922/16.05.2016 3669795.00 Sononoon.on (25,07,2016) Core Banking (25,012) E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00 25183000.on (20,02019) Core Banking (25,02019) E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 2430.00 (27) 26764000.00 (21.04.2020) E E Gwalior 087925/26.12.2016 15665296.00 25744000.00 (21.04.2020) 243.00 (26 Gwalior) 087927/17.03.2017 14392844.00 25744000.00 (21.04.2020) E E Gwalior 087928/09.06.2017 2136681.00 25744000.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20.00 (20	Equipment	4708613.00	100 CO	COA GWalloi			
Sanction Armount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Armount 10% Egenditure Armount 10% To Cq. No. /Date Armount 10% E E Gwalior 087921/08.02.2016 5000000.00 20.03.2015 E E Gwalior 087922/16.05.2016 3669795.00 25.07.2016 E E Gwalior 087922/16.05.2016 3949801.00 29.10.2016 E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 26764000.00 21.04.2020 243.00 E E Gwalior 087925/24.10.2016 15665296.00 26764000.00 01.03.2021 E E Gwalior 087925/09.06.2017 14190841.00 25744000.00 01.03.2021 E E Gwalior 087925/09.06.2017 2136681.00 12024996.00 25140742.00 08.12.2021 E E Gwalior 087930/13.10.2017 12024996.00 14941375.	Equipment	50474802.00	087934/16.05.2019	COA Custion			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. Core Banking E E Gwalior 087921/08.02.2016 3669795.00 25.07.2016 E E Gwalior 087922/16.05.2016 3949801.00 D.D. No. D.D. No. D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount D.D. No. Core Banking E E Gwalior 087922/16.05.2016 3949801.00 D.D. No. D.D.	our Mulling our	149413/5.00	आयोजना मद से भुगतान	F F Gwalior	35140/42.00 00.12.2021		
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Soooooo.00 Core Banking 15000000.00 Core Banking E E Gwallior 087922/16.05.2016 3669795.00 Soooooo.00 29.10.2016 E E Gwallior 087923/23.06.2016 3949801.00 55183000.00 15.04.2019 E E Gwallior 087925/24.10.2016 10816028.00 2430.00 26764000.00 21.04.2020 243.00 E E Gwallior 087927/17.03.2017 14832844.00 17426000.00 01.03.2021 E E Gwallior 087929/09.06.2017 2136681.00 17426000.00 01.03.2021 E E Gwallior 087929/09.06.2017 2136681.00	/th Running Bill	12024996.00	087930/13.10.2017	E E Gwalior	257 40742 00 08 12 2021		
Sanction Arnount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount	Equipment.	2138881:00	087929/09.06.2017	E E Gwalior	17426000.00 01.03.2021		
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount 5000000.00 20.03.2015 Core Banking EE Gwalior 087921/08.02.2016 5000000.00 15000000.00 25.07.2016 EE Gwalior 087922/16.05.2016 3669795.00 25.10.2016 Core Banking EE Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00 55183000.00 15.04.2019 EE Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 7000000.00 03.06.2019 EE Gwalior 087926/26.12.2016 15665296.00 2430.00 26764000.00 21.04.2020 243.00 EE Gwalior 087927/17.03.2017 14190841.00 EE Gwalior 087928/09.06.2017 14832844.00	2nd Running bill	2126601 00		L. L. Owallo.	25744000.00 11.08.2020		NO.21160110015056
Sanction Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount 15000000.00 Core Banking 20.03.2015 Core Banking 25.07.2016 E Gwalior 087921/08.02.2016 5000000.00 15000000.00 Core Banking 3000000.00 Core Banking 25.07.2016 E Gwalior 087923/23.06.2016 3669795.00 55183000.00 Core Banking 25.04.2019 E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 2430.00 Core Banking 30.06.2019 E Gwalior 087925/24.10.2016 15665296.00 2430.00 Core Banking 30.06.2019 E E Gwalior 087927/17.03.2017 14190841.00	6th Running Bill	14832844.00	087928/09.06.2017	-			Æ/C
Sanction Amount D.D. No. Amount D.D. No. D.	5th Running Bill	14190841.00	087927/17.03.2017			2430.00	BIOTECHNOLOGY LAB
Sanction Arnount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Society Cq. No. /Date Amount Society Core Banking 15000000.00 25.07.2016 E E Gwalior 087921/08.02.2016 3669795.00 25.07.2016 E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00 25.183000.00 25.04.2019 E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 15.04.2019 E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 108160	Construction	00:0675G9GT	087926/26.12.2016	E E Gwalior	7000000.00 Core Banking		PROJECT
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Society Core Banking 15000000.00 25.07.2016 29.10.2016 Core Banking Core Banking Core Banking E E Gwalior 087922/16.05.2016 3949801.00 Core Banking Core Banking E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00 Core Banking E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 Core Banking Core Banking E E Gwalior 087925/24.10.2016 10816028.00 Core Banking Core Banking Core Banking E E Gwalior 087925/24.10.2016 Core Banking Core Banking Core Banking E E Gwalior 087925/24.10.2016 Core Banking Core Banking Core Banking E E Gwalior 087925/24.10.2016 Core Banking	4th Running Bill	4 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6					
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount 5000000.00 Core Banking Core Banking E E Gwalior 087921/08.02.2016 5000000.00 3669795.00 150000000.00 Core Banking E E Gwalior 087922/16.05.2016 3949801.00 30000000.00 10.2016 E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00	Construction	10816028.00	087925/24.10.2016	E E Gwalior			
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount 5000000.00 Core Banking 15000000.00 Core Banking 25.07.2016 E E Gwalior 087922/16.05.2016 5000000.00 3669795.00 Core Banking 15000000.00 Core Banking 25.07.2016 E E Gwalior 087923/23.06.2016 3949801.00	3rd Running Bill			r (
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount S000000.00 20.03.2015 E E Gwalior 087921/08.02.2016 3669795.00 36697	Construction	3949801.00	087923/23.06.2016	F F Gwalior		· ·	
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. / Date Amount Source Banking Sou	Construction Sill	3003733.00	087922/16.05.2016	E E Gwalior	15000000.00 Core Banking	T	
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount Amount Occidents of Expenditure Amount Occidents of Cq. No. /Date Occidents of Cq	1st Running Bill	2660705 00					
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount	Construction	pare.	087921/08.02.2016	E E Gwalior		Т	
Sanction Amount D.D. No. V.V. To Cq. No. /Date Amount	Advance Payment c						
1 10% Expenditure Amount			Co. No. / Date		D.D. No.	Amount	Project Name
diture	Hacal our race	Amount	Experience -	.0%	1	Sanction	Charles and the second
	Land/Rill No		Exponditure	TO A O O O			

Auditorium & Sangosthi Hall

5833304.00	109029803.00			11896000.00		105005709 00			
	45661/4.00	000012/16.06.2022	EE, RVSKVV						
	100/61/.00	000011/29.12.2021	EE, RVSKVV						
	2630972.00	000010/09.12.2021	EE, RVSKVV						
	5115806.00	000009/06.10.2021	EE, RVSKVV						
	5966324.00	000008/24.03.2021	EE, RVSKVV						
	1062171.00	000007/24.02.2021	EE, RVSKVV						
	4592043.00	000006/17.12.2020	EE, RVSKVV						
	6813345.00	000005/12.11.2020	EE, RVSKVV						
	11615127.00	000004/14.10.2020	EE, RVSKVV		17.05.2022	4469798.00 17.05.2022			
	19968929.00	000003/14.09.2020	EE, RVSKV.V		22.01.2021	23600000.00 22.01.2021			Pk/CN0.21160110027950
					11.09.2020	35200000.00 11.09.2020			Fring County & S本地GOSTHI 出海LL
	7465511.00	000002/12.06.2020	FF RVSKVV		2000000				
	38225784.00	EE, RVSKVV 000001/03.03.2020	EE, RVSKVV	11896000.00	26.02.2020	42826000.00 26.02.2020		1189.61	
The same of the same			A SULLEY OF SULL	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			retter 140.	Amount	
- Illouite	Amount	Cq. No. /Date	<u>T</u> 0	Share	D.D. No.	Amount	0.000	Danction	Project Name
Amount		Expenditure		10% V.V.		Receipt		2000	,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间 第二章 1925 ————————————————————————————————————

Jaiv Proudhyogik Kemdra Bhandar

Sanction Receipt Amount D.D. No. 925.00 13394000.00 24.06.2020 15459000.00 01.03.2021 44363000.00 17.11.2022 3239082.00 17.11.2022		Constitution of the last of th	のできた。 日本のでは、日本のでは、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	2230000.00	76455082.00	76		
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 925.00 15459000.00 01.03.2021 COA Gwalior 000002/08.06.2021 44363000.00 13.09.2021 COA Gwalior 000003/14.10.2021 3239082.00 17.11.2022 COA Gwalior 000004/30.01.2023	9250096.00	84252155.00		9250000 00				
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Expenditure 4mount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13393904.00 6AND AR 15459000.00 13.09.2021 COA Gwalior 000003/14.10.2021 52160503.00 6AND AR 2339082.00 17.11.2022 COA Gwalior 000004/30.01.2023 3239082.00								
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Expenditure 925.00 Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwallor 000001/21.08.2020 13393904.00 925.00 15459000.00 01.03.2021 COA Gwallor 000002/08.06.2021 15458666.00 44363000.00 13.09.2021 COA Gwallor 000003/14.10.2021 52160503.00 3239082.00 3239082.00 17.11.2022 COA Gwallor 000004/30.01.2023 3239082.00								
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. /Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwallor 000001/21.08.2020 13393904.00 925.00 15459000.00 01.03.2021 COA Gwallor 000002/08.06.2021 15458666.00 44363000.00 13.09.2021 COA Gwallor 000003/14.10.2021 52160503.00 COA Gwallor 000004/30.01.2023 3239082.00				001	39082.00 TT	3		W/CNO-ZIIOOIIOOE, Jo.
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13393904.00 925.00 15459000.00 01.03.2021 COA Gwalior 000003/14.10.2021 52160503.00 44363000.00 13.09.2021 COA Gwalior 000003/14.10.2021 52160503.00		3233002.00	awalior 000004/30.01.2023	COA	רנות וו דו מס בססס			5 /CTIO 91160110097967
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwallor 000001/21.08.2020 13393904.00 925.00 15459000.00 01.03.2021 COA Gwallor 000002/08.06.2021 15458666.00 COA Gwallor 000003/14.10.2021 52160503.00 COA Gwallor 000003/14.10.2021 52160503.00		UU CAUBECE		-	63000.00 13.09.2021	44		JAIN PROUDER OUR WENDER DECEMBERS
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Amount D.D. No. Share To Cq. No. /Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13458666.00 15459000.00 1.03.2021 COA Gwalior 000002/08.06.2021 15458666.00		DOTOCOCOT 7C	Swallor 000003/14.10.2021	COA	בה בה בה החוז			CAUTA HO TOTAL STATE OF A SILVER
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13393904.00 000002/08.06.2021 15458666.00 15458666.00 15458666.00 15458666.00		E3160503 00	The community of the co	Charles and Charle	72021CO 01.00.2021	154		
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount 925.00 13394000.00 24.06.2020 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13393904.00		T3430000.00	Swalior 000002/08.06.2021	COA	2000 00 01 03 2021			
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount Amount 9250000.00 COA Gwalior 000001/21.08.2020 13393904.00		15/15/66/66/00	100000000000000000000000000000000000000	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWIND TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN	24000.00 27.00.2020	135	925.00	THE PROPERTY OF STREET, SALES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount		T3333704.00	swallor 000001/21.08.2020	9250000.00 COA	0,000 00 24 06 2020	130	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	のできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというというできるというというできるというというというと
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount		12393904 00	חנחר פת יכו יכובים	Control of the Contro	The second secon			AND
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Amount Letter No. Amount D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL					Chicago Charles Control of the Contr	Charles of the Control of the Contro	
Sanction Receipt 10% V.V. Expenditure Sanction Receipt D.D. No. Share To Cq. No. / Date Amount			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON N			Amount	1.00
Receipt 10% V.V. Expenditure	Chief of the Particular Control of the Particular Spirits of the Parti	The state of the s	0 cd. 100. / Date	Share		-		Droject Name
Receipt 10% V.V. Expenditure	AMOUNT		Ca No /Date	The second secon	- Color -		Sanction	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
Fxpenditure	0	-	AND ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF T	10% V.V.	ceipt	S. S.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	のできた。 「日本のでは、日本
	Dalatice		Expenditure	400/11/1	AND RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY O			
	Palanco		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA					The second state of the se
					Control of the second of the s	O DECEMBER OF THE PROPERTY OF	-	

Agriculture Business Management Project

-1/51462.	26071462.00 -1/51462.00	A STATE OF THE STA	Particular designation of the second	2520000.00	0	21800000.00			
			00/00						
	203462.00	594993/16.07.2022	DD/CC						
	25275200	-	EE, RVSKVV						
	205215.00	594991/28.04.2022	EE, RVSKVV						
	540655.00	594990/06.01.2022	EE, RVSKVV						
	3/1/64.00	594989/24.09.2021	EE, RVSKVV						
	00.0011878	594987/14.12.2020	EE, RVSKVV						
	325/18.00	594986/22.11.2019	EE, RVSKVV						
	30200000	594985/22.11.2019	EE, RVSKVV						
	00 8009505	EE, RV5KVV . 594904/02.00.2010	EE, RVSKVV.				2		A/CNO.21160110015855
	560535.00	E0/00/ /02 08 2018	200000		8000000.00 14.03.2018	8000000.00	ard		MANAGEMENT
	857038.00	594983/02.08.2018	FF RVSKVV		800000000000000000000000000000000000000	20,000008	2nd		MENDEMENT
	3/14091.00	594982/13.11.2017	EE, RVSKVV		22 06 2017	200000000000000000000000000000000000000	1st	252.00 1st	AGRICIII.TURE BUSINESS
	9652686.00	594981/20.09.2017	4	ESOCION 00 09 12 2016 2520000.00 EE, RVSKVV	ng 12 2016	ESOCOO OO			
distantant some state of			The Party of the P	of the same of the	The state of the s	And described to the second se	rettel mo.		
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	Amount	Cq. No. /Date	To .	Share	D.D. No.	Amount	Octor No	Amount	Project Name
Amount		The state of the s	The state of the s	10% V.V.	And the second s	Receipt		Sanction	
Balance		Expenditure				THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	The state of the s	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

	Project Name DPR A/CNO.21160110020760	
611.00	Sanction Amount Letter No. 611.00 1st 2nd 3rd	or described the experimental experiments of the second second second second second second second second second
54966670.00	Receipt Amount D.D. No. 35000000.00 09.12.2016 17200000.00 22.06.2017 2766670.00 14.03.2018	DPR
6130000.00	eipt 10% V.V. Expenditure 4mount D.D. No. Share To Cq. No. /Date 35000000.00 09.12.2016 6110000.00 EE, RVSKVV 592741/05.05.2017 17200000.00 22.06.2017 EE, RVSKVV 592742/09.06.2017 2766670.00 14.03.2018 EE, RVSKVV	
52200000.00 8876670.00	### Relance Amount Amount	AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Renovation & extension of Agriculture College

														A/C NO.21160110015476	RENOVATION & EXTENSION					Project Name	
															1000.00			•	7-111001116	Amount	Capation
3																3/1/14/180/325 Dt. 25.05.2015	3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	B-3/14/14/543 Dt. 25.05.2012		letter No.	R
86 288												123.13		52.8	300.00	200.00	100.00	108.00	- Charles and the control of	Amount	Receipt
38	•		-									3 21.00.2011	27 06 201	52.85 29.05.2017	300.00 28.12.2016	Core 200.00 Banking 22.05.2015	Core 100.00 Banking 20.03.2015	048018 Dt. 24.05.2012		D.D. No.	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH
100.00													7		0.					Share	10% V.V.
00	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	F.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	CoA Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	CoA Gwalior	CoA Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior	E.E. Gwalior		To	
	088273,	_	-	_	-	088068/	088067/	-	-	088063/			598834/31.03.2015	774342/30.07.2014	774340/30.03.2014	774339/29.03.2014	774330/09.10.2014	774329/24.07.2012		Cq. No. /Date	Expenditure
81977661.00	7 5247495.00	2				6				5		4		***	5824567.00	6169311.00	1678999.00	452860.00		Amount	
00		0	Ŏ	Ö	Ó	0	0 Equ	ONBCC	0	0	Equ	Equ	3						-	Tuno anna	Balance

Project Schore Road

Balance

							LLD.JL	
0.00	T.TOCOTOGO			11.93	106.36	=	2 2 2	
0 00	222200000							
	7331000.00	088085/03.07.17	E.E. Bhopal					
	00 000111	02.72.72.72	E.E. Bhopal		22.59 15.05.2017			
	1193000.00	1193000 00			16.04.2016			
	3577000.00	088082/12.01.16 3577000.00	E.E. Bhopal		35.77 Core Banking			015513
					TO:00:010			♣/CNO.21160110
	4800000.00	088081/12.01.16 4800000.00	E.E. Bhopal		48.00 Core Banking			SEHORE ROAD
	}							
				11.93			119.31	
							The second secon	
					To the second se	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP
The state of the s	the state of the s	Cho Man I was	c	Snare	unt D.D. No.	Letter No. Amount	Amount	Project Name
Amount	Amount	Ca No /Date	17	3	100000	No.	Sanction	
		Expenditure		10% V.V.	2.	000	1	
DU WING			The state of the s	Variation the state of the stat				SCHOOL SCHOOL STATE OF THE STAT

प्रध्य प्रदेश शासन से अधोसरवंना में प्राप्त राशि का विवरण Year 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Total	1400.98	437.33	327.33	227.33	227.33	181.66	Amount in lac
	10131	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	Year
मध्य प्रदेश शासन से अधोसरचंना में प्राप्त राशि का विवरण	7						
		वरण	प्त राश का वि	गेसरचंना मे प्र	शासन से अध	मध्य प्रदेश	

Comptroller PR.V.S.K.V.V., Gwaiiui

2021-:		हारच	37-77					,
	2022	2022	अनुसान	पुनरीक्षित	अनुमान		(आंट	कडे हजार रुपर
मतदेय	भारित	<u>2022</u> मतदेय	-2023	2022-2	2023		ৰত	नट अनुमान
		नतप्य	भारि	त मतदेय	भारित			23-2024
						0102 - अनुसूचित	मतदेय	भारित
						जनुजात जनजाति योजना (र स्कीम)	उप	
0102- अनुसूचित	ं जनजाति	ों उप योजना (सब स्क्	•			(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृ विश्वविद्यार ग्वालियर व	षि लय हो) - संचालक, कृषि, भोपात
5 %	, , -, , , ,	। उप याजना (सब स्व	तिम)	- 4,58,69		ब्लाक ग्रांट		
0		0 12,50,00		0 7,91,31		#42 - सहायक अनुदान		
0		0 12.50.00				७७८ - सद्यारण अनुदान (वेर भत्ते, मानदेर	12,50,00 तन I	
		0 12,50,00		0 7,91,31		इत्यादि) 0_ योग - योजना - (5664		
						0103 - अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)	12,50,00	
						(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कवि		संचालक, कृषि, भोपाल
)103- अनुसूचित ज	ाति उप यो	जिना (सब स्कीम)				विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट		
0 103- अनुसूचित ज 0	गति उप यो 0	जिना (सब स्कीम) 3,27,33	0	3,27,33	0	विश्वावद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पं		
0		3,27,33	0 2,83	J,27,33	0	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये		0
		3,27,33		J,27,33	0	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण		0
0	0	3,27,33 6,26,83	2,83	, 3 /		विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन मत्ते, मानदेय	3,27,33	
0	0	3,27,33 6,26,83 9,54,16	2,83	3,43,52	0	विश्वावद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	3,27,33	
0 0 0	0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16	2,83	3,43,52	0	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) -	3,27,33	
0 0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0	3,43,52 6,70,85 6,70,85	0 0 z	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - पोग- जदेश्य शीर्ष - #42 -	3,27,33 6,26,83	0
0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16	0	3,43,52 6,70,85 6,70,85 1,71,96,00	0 0 2 0 2	विश्वावद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) गोग- जद्देश्य शीर्ष - #42 गोग - योजना - (5664) गोग - लघु शीर्ष - {120}	3,27,33 6,26,83 9,54,16	0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0 0 0	3,43,52 6,70,85 6,70,85	0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय हत्यादि) गोग- जद्देश्य शीर्ष - #42 गोग- वोजना - (5664) गिग- लघु शीर्ष - {120} ग लेखा शीर्ष - 2415	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16	0
0 0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0 0 0	3,43,52 6,70,85 6,70,85 1,71,96,00	0 0 2 0 2 0 2	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) ग्रोग- उद्देश्य शीर्ष - #42 ग्रोग- वर्षे व्यान (5664) ग्रोग- लघु शीर्ष - {120} ग्रेग लेखा शीर्ष - 2415	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,37,99	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0 0 0	3,43,52 6,70,85 6,70,85 1,71,96,00	0 0 2 0 2 0 2	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने केता वित्यान भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये वित्यां निर्मित कियां निर्मित किये वित्यां निर्मित कियां	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,37,99	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0 0 0	3,43,52 6,70,85 6,70,85 1,71,96,00	0 0 2 0 2 0 2	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने केतु अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने केतु अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाग - (5664) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाग - विश्ववित्यां निर्मित किये जाग निर्मित किये जाग - विश्ववित्यां निर्मित किया ग्रांचित्यां निर्मित निर्मित किया ग्रांचित्यां निर्मित किया	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,37,99	0 0 0 0
0 0 0	0 0 0 0	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,38,00	0 0 0	3,43,52 6,70,85 6,70,85 1,71,96,00	0 0 र 0 य 0 य 0 य	विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट #42 - सहायक अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये जाने केता वित्यान भत्ते, मानदेय इत्यादि) - विश्ववित्यां निर्मित किये वित्यां निर्मित कियां निर्मित किये वित्यां निर्मित कियां	3,27,33 6,26,83 9,54,16 9,54,16 1,79,37,99	0 0 0 0

							(आंकडे	हजार रुपयों में)
लेख 2020-2	2021	बजट अनु 2021-2(पुनरीकित 2021-2				 अनुमान
मतदेव	गारित	मतदेय	मारित	मतदेय	भारित		नतदेय	भारित
0103- अनुसूचि	वत जाति उप यो	जना (सव स्कीम)						
2.27.33	0					#42 - सहायक अनुदान		
	0	2,27,33	0	2,27,33		001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेत्	. 0	
5,50.00	0	5,50,00	0	5,50,00	0		0	0
7,77,33	0	7,77,33	. 0	7,77,33	0	योग- उद्देश्य शीर्ष - #42	. 0	0
7,77,33	0	7,77,33	0	7,77,33		योग - योजना - (5664)	0	0
1,64,14,20	. 0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	योग- लघु शीर्ष - {120}	0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0		0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	. 0	1,64,42,21	0	·	0	. 0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0	0

जार रुपयाँ में				अनुमान	पुनरीक्षित		बजट अ	20	लेखा 2021-20
	बजट				2022-	2023	2022-2		2021-20
2024 भारित	2023 मतदेय		ī	भारि	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय
नारत	गतप्य	2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा							
		[01] - फसल कृषि कार्य							
		{120} अन्य संस्थाओं - को सहायता							
नंचालक, रुषि, भोपाल	(1402) -	(0715) जवाहरलाल - नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना							
		#42 - सहायक अनुदान	•		31,38,00	0	31,38,00	0	0
0	31,38,00	007 - अन्य शर्त रहित अनुदान	0		31,38,00	0	31,38,00	0	0
0	31,38,00	योग - योजना - (0715) _ 0101 - सामान्य	0		31,36,00				
चालक, षि, भोपाल	(1402) -	(1455) जवाहरलाल - नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट							0101- सामान्य
		#42 - सहायक							
0	1,50,00	अनुदान 001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु	0		1,50,00	0	1,50,00	0	0
0	93,50,00	अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	0		93,50,00	0	93,50,00	0	0
	95,00,00	स्थाद) योग- उद्देश्य शीर्ष - #42	0 2		95,00,00	0	95,00,00	0	0
0	95,00,00	योग - योजना - (1455)			95,00,00	0	95,00,00	0	0
0 ालक, तं, भोपाल	(1402) - ₹	(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट							101- सामान्य
		#42 - सहायक अनुदान							0
0	1,00,00	001 - अधोसंरचना/पूं जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु	0		1	0	1	0	·
0	13,50,00	अनुदान 002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय)		14,50,00	0	14,50,00	0	0
0	16,45,83	इत्यादि) 007 - अन्य शर्त रहित)		16,45,83	0	16,45,83	0	0
	30,95,83	अनुदान गि- उद्देश्य शीर्ष - #42	– ' ಬੀ	-	30,95,84	0	30,95,84	0	0
0	30,95,83	ग - योजना - (5664)	_ "		30,95,84	0	30,95,84	0	0

								(3)100	डे हजार रुप		
्रा —कि अन्तर्यात्रान ए	र्च शिक्षा							वज	ट अनुमान		
- 054 - कृषि अनुसंधान ए				रीक्षित अनुमान				The same of the sa	19-2020		
	चजट अनु	<u> </u> मान	3	2018-2019				गतदेय	4111	<u> </u>	
लेखा	2018-2	019	ग्तरे		<u>त</u>						
<u>2017-2018</u> गारित	भतदेय	गारित					- जन्म गर्व				
मतप्प						#42 -	अनुदान अनुदान		1	0	
)101-सामान्य						001 -	अधौरांरचना/।	rį	1		
			a	1	0	001					
0	0 1						परिसंपत्तियां निर्मित किये				
							जाने हेतु				
							अनुदान	13	,50,00	0	
				-2 00	0	002	- संधारण अन् (वेतन भते	Tele 1			
	0 18,50,0	00	0	18,50,00			मानदेश	,			
00,00,81	0 18,300						इत्यादि)		15,45,83	0	
					0	00	७ - अन्य		28,95,84	0	
	0 22,90	0.00	0	22.90,00	0	-det T	हेश्य चीर्व - #	14L	28,95,84	0	
0			0	41,40,01	0	गोग -	योजना - (56	104) —			
18,00,00		10,01	0	41,40,01		01	na - असस्ति	ICI			
18.00.00	0 41,4	10,01					जनजारि चोजना	110.			
							रकीम)		(1402) -	संचालक,	
						(5	5664) খাতালা	ाता ू	(1402)	कृषि, भीपाल	
								गराज या, कृषि			
01015- কৃষি अनु	संधान एवं शिक्षा						चित्रव	विद्यालय			
01012-61-3							नवारि	लेयर की			
							रथा	पुषा			
0102- अनुस्चि	वत जनजाति उप यो	जना (सब र	इकीम)			0	000 3	नुदान हारण अनुदान	11,50	0.00	0
010Z- अनुसूचि 9,72,40	वत जनजाति चप यो 0	জনা (सब र 10.50,00		0 10,50.	,00,		अर् 002 - सं (है म	नुदान धारण अनुदान धेतन भरो, गानदेय इत्यादि)			0
							अर् 002 - सं (है म	नुदान धारण अनुदान क्षेतन भत्ते, गनदेय इत्यादि) ग - (5664)	11.5	00,0	_
	0	10.50,00		0 10,50.			002 - सं (हें भ योग - योजन	नुदान धारण अनुदान धेतन भरों, गानदेय इत्यादि) गा - (5664) अनुसचित जां	11.5		_
	0						अन् 002 - सं (हें म योग - योजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान धेतन भरो, गानदेय इत्यादि) ग - (5664) अनुसूचित जॉ	11.5	V0,03	0
9,72,40	0	10.50,00					97 002 - सं (हें म चोग - चोजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान धेतन भरो, 11नदेय इत्यादि) 11 - (5664) अनुसूचित जॉ उप योजना (सब स्कीम)	11.5		0
9,72,40	0 0	10,50,00					97 002 - सं (हें म चोग - चोजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान शतन गरो, गानदेय इत्यादि) गा - (5664) अनुसूचित जॉ जप योजना (सब स्कीम) राजमाता	11.5 ते	50,09 50,09	0
9,72,40	0 0	10,50,00					97 002 - सं (हें म चोग - चोजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान क्षेत्रन गरो, गानदेय इत्यादि) गा - (5664) अनुस्चित जा जप योजना (सब स्कीम)) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृ	11.5 ति (14	50,09 50,09	0
9,72,40	0	10,50,00					97 002 - सं (हें म चोग - चोजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान धेतन भरो, गानदेय इत्यादि) गा - (5664) अनुस्थित जा जप योजना (सब स्कीम) राजमाता - विजयाराजे विश्वदिद्याल ग्वालियर व	11.5 ति (14	50,09 50,09	0
9,72,40	0 0	10,50,00					97 002 - सं (हें म चोग - चोजन 0103 -	नुदान धारण अनुदान क्षेत्रन गरो, गानदेय इत्यादि) गा - (5664) अनुस्चित जा जप योजना (सब स्कीम)) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृ	11.5 ति (14	50,09 50,09	0
9,72,40	0 0 <u>0</u> कृषि अनुसंधान एवं f	10,50,00	0				था 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664)	नुदान धारण अनुदान क्षेत्रन गरो, गानदेय इत्यादि) ज - (5664) अनुस्चित जा जप योजना (सब स्कीम) राजमाता - विजयाराजे सिंघिया, कृ विश्वदिद्याल स्थापना	11.5 ति (14	50,09 50,09	0
9,72,40	0 0 <u>0</u> कृषि अनुसंधान एवं f	10,50,00	0				था 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664)	नुदान धारण अनुदान दोतन गरो, गानदेय इत्यादि) ज - (5664) अमुस्चित जा जप योजना (सव स्कीम) जजमाता - विजयाराजे सिंचिया, कृ विश्वदिद्यार म्यापना	11.5 ति (14	50,60 \$02) - র্মন্নালন জুবি, গ	0 रु: नेपाल
9,72,40	0 0	10,50,00	0		00,00		अन् 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - : (5664)	नुदान धारण अनुदान धारण अनुदान धेतन गरो, गानदेय द्रुरधादि) गा - (5664) अनुस्चित जा उप योजना (सव स्कीम) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृ विश्वदिद्याल स्थापना 2 - सहायक अनुदान	11.5 ति (14 वि वि	50,09 50,09	0 रु: नेपाल
9,72,40	0 0 <u>0</u> कृषि अनुसंधान एवं f	10,50,00 10,50,0 शिक्षा प योजना (स	0				अन् 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - : (5664)	नुदान धारण अनुदान क्षेत्रन गरो, गानदेय द्रत्यादि) गा - (5664) अनुस्वित जा उप योजना (सव स्कीम) एजमाता विजयाराजे सिंचिया, कृ विश्वदिद्याल ग्लालियर व स्थापना 2 - सहायक अनुदान 01 - अधोसंस्व	11.5 di (14 di pu fit fit fit fit fit fit fit fit fit fit	50,60 \$02) - র্মন্নালন জুবি, গ	0 रु: तेपाल
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10,50,00 10,50,0 शिक्षा प योजना (स	0	0 10,5	00,00		अन् 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - : (5664)	नुदान धारण अनुदान धेतन गरो, गानदेय द्रापादि) गा - (5664) अनुस्वित जा जप योजना (सव प्रकीम) एजमाता विषयाराजे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषे विषयिया, कृषुवान	11.5 ति (14 वि वि व	50,60 \$02) - র্মন্নালন জুবি, গ	0 रु: नेपाल
9,72,40	0 0 <u>0</u> कृषि अनुसंधान एवं f	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0	0 10,5	00,00		अन् 002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - : (5664)	प्रधान अनुदान धारण अनुदान कितान गरों, मनदेय द्वापादि । (5664) अनुस्वित जां जप योजना (सव स्कीम) एजमाता विजयाराजे विश्वविद्यार य स्थापना विश्वविद्यार य स्थापना विश्वविद्यार व स्थापना व सहायक अनुदान जीने हैं ज	ार्ड विकास करें किया किया किया किया किया किया किया किया	50,60 (02) - संदालक कृषि, र	0
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0	0 10,5	00,00		अन् 002 - सं (ते भ दोग - योजन 0103 - (5664) #42	प्रधान अनुदान धारण अनुदान केतन गरों, जानदेय द्राधादि । जिंदिकी अनुस्पादि । जानदेय प्रधान केतन पर्वा जान स्कीम) एजमाता विजयाराण किराविष्या, कृषे विश्व किराविष्या । अञ्चर्यान परिसर्वा जाने हैं अनुदान जाने किराविष्य केता जाने किराव	ार्ड (14 कि स्वार्ट के स्वार्ट क	50,60 \$02) - র্মন্নালন জুবি, গ	0 रु: नेपाल
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0	0 10,5	3,00,00	0	अन् 002 - सं (ते भ दोग - योजन 0103 - (5664) #42	प्रधारण अनुदान धारण अनुदान केतन गरों, जानदेय द्रात्पादि जा - (5664) अनुस्पादि जा - (5664) एजमाता जिल्लामा जिलामा जिल्लामा जिल्लामा जिल्लामा जिल्लामा जिल्लामा जिल्लामा जिल्ला	ार्स (14 किया किया किया किया किया किया किया किया	50,60 (02) - संदालक कृषि, र	0 रु: नेपाल
9,72,40	্চ ৩ কুষি अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0	0 10,5	00,00	0	अन् 002 - सं (ते भ चोग - योजन 0103 - (5664) #42	प्रधारण अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान केतन गरों, ज्ञानदेय द्वापादि जा - (5664) अनुस्वित जा अनुस्वित जा किया प्रकार के प्रधार के किया जा	ार्ड विकास करें के स्वार्ट के स्	50,60 (02) - संदालक कृषि, र	0 रु: नेपाल
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0 1व स्कीम) 3.00.00	0 10,5	3,00,00	0	अन् 002 - सं (3 भा चोग - योजन 0103 - (5664) #42 0 00	नुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान केतन गरों, जानदेय द्रात्यादि जा (5664) अनुस्वित जा अनुस्वित जा किया प्रात्या जिल्ला किया जा किया प्राप्त किया जा जा किया जा जा किया जा किया जा जा किया जा जा किया जा	ार्स (14 कि	50,00 (02) - संदालव कृषि, र 5,50,00	े जे नेपाल
9,72,40	্চ ৩ কুষি अनुसंघान एवं f अनुसूचित जाति उप	10.50,00 10,50,0 शिक्षा प चीजना (स	0 1व स्कीम) 3.00.00	0 10,5	00,00, 00,00,6	0	002 - सं (हैं चोग - योजन 0103 - (5664)	नुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान केतन गरी; मनदेय इत्यादि अनुस्वित जा अनुस्वित जा अनुस्वित जा अनुस्वित जा अनुस्वित जा अनुस्वित का स्थापन विविद्या प्रमान अनुदान जाना जिल्ला का स्थापन जाना जिल्ला का स्थापन जाना जाना जाना जाना जाना जाना जाना ज	ति (14 विकास किया किया किया किया किया किया किया किया	50,00 (02) - तंत्राल कृषि, र 5,50,00 7,77,33	े हे: नोपाल
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुस्तृचित जाति उप 70,00	10.50,00 10,50,0 रोजना (स	0 1व स्कीम) 3.00.00	0 10,5	3,00,00	0	002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664)	प्रधान अनुवान अनुवान अनुवान अनुवान अनुवान केतन गरो, मानवेय इत्यावि आज प्रकार केतन पर्वा किया अनुवान केति अनुवान क	ार्स्ट विकास के स्वास्त्र के स	50,00 (02) - तंत्राल कृषि, र 5,50,00 7,77,33	्र नोपाल १
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुस्तित जाति उप 70,00	10,50,00 10,50,0 व योजना (र 0	0 (3.00.90 (6.00.00	0 10,5	3,00,00	0	002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664)	विश्वारण अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान सेतन गरो, मानवेय इत्यादि । (5664) अनुस्तित जा अनुस्तित जाने के अनुस्तित जाने जाने के अनुस्तित जाने कि	ार्स्त (14 विकास के स्वास के	50,00 (02) - तंत्राल कृषि, र 5,50,00 7,77,33	्र कोपाल १
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं f अनुस्तृचित जाति उप 70,00	10.50,00 10,50,0 रोजना (स	0 (३.00.00 (७.00.00	0 10,5	3,00,00	0	002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664)	विश्वारण अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान सेतन गरो, मानवेय इत्यादि । (5664) अनुस्तित जा अनुस्तित जाने के अनुस्तित जाने जाने के अनुस्तित जाने कि	ार्स्ट विकास के स्वार्थ के स्वार	50,00 (02) - तंत्रालव कृषि, र 5,50,00 7,77,33 7,77,33 (1402) -	्र नेपाल संचालक, कृषि, भोग
9,72,40	0 0 कृषि अनुसंघान एवं रि अनुसूचित जाति उप 70,00 5,45,10 8,15,10 8,15,10	10,50,00 10,50,0 व योजना (र 0	0 व्यक्तिम्) 6.00.00 9,00.00	0 10,5	00,00. 00,00,6 00,00,0	0	002 - सं (हैं योग - योजन 0103 - (5664) 0 00 0 योग 0 योग	विश्वारण अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान सेतन गरो, मानवेय इत्यादि । (5664) अनुस्तित जा अनुस्तित जाने के अनुस्तित जाने जाने के अनुस्तित जाने कि	ार्स्त (14 विकास के स्वास के	50,00 (02) - तंत्रालव कृषि, र 5,50,00 7,77,33 7,77,33 (1402) -	्र नेपाल संचालक, कृषि, भोग

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक <u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752) **५** ४० भोपाल, दिनांक - २८ अप्रैल, 2023 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालिस हज़ार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकिंत शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश वजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक <u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752) प क्षेपाल, दिनांक - 26 अप्रैल, 2023 प्रति,

अयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तियाही किस्त (25%) की राशि रूपये 20.00 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के विना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगासी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

1882A 20:727*)

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय. भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 871 भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

825/3

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 24.00 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 24.00 लाख (चौबीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- 1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत कि ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Marion

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक <u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752)

भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023

प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

8025/7

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 78.5592 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पचपन हज़ार नौ सौ बीस मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकिंत शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।

3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

1817/23

(rong)

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 7 7 भोपाल, दिनांक - 1 8 जनवरी, 2023 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 52.3728 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 52.3728 लाख (रूपये बावन लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकिंत शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का संमावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3. 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई 4. शर्ती का पूर्णतया पालन किया जावे।

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त 5. विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश 6. ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें। 7.

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा। 8.

आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें। 9.

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत 11. ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान -001- अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> अवर सचिव अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक<u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752) 🗸 भोपाल, दिनांक - / ू जनवरी, 2023 प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 4. आयुक्त, संचालानलय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल
- आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
- निज सहायक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
- 9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।

10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

अवर सिविव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोषाल

क्रमांक <u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752) 65 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2024 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 16.00 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 16.00 लाख (सोलह लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- 1. वजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदेयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि कां व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0101 सामान्य -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V-42- सहायक अनुदान -001- पूंजीगत परिसंपत्तियों आदि अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक <u>AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR)</u> (P-212752) 70 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023 प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 4. आयुक्त, संचालानलय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल
- आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
- 8. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, स.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
- 9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
- 10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोषाल

कमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 32-3 भोपाल, दिनांक -13 3, 2024

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौत्रा राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बावत् ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से में से शेष 20 % कटौत्रा राशि 20.00 लाख (वीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-:

- बजट बनाते समय वित्त विधाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जावेगा।
- दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुवान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 विमांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं क्रा अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

13103/2024

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 32-5 भोपाल, दिनांक- /3 3 2024 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौत्रा राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बावत् ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में में से शेष 20 % कटौत्रों राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पेंसठ लाख छियालीस हज़ार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकिंत शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- वजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश वजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शतों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

12/03/2024

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक #DocumentNumber# (61175) भोपाल, दिनांक - 08/02/2023

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 52.3728 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, व वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से चतुर्ध तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 52.3728 लाख (बावन लाख सैतीस हज़ार दो सौ अस्सी मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।

3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।

4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें। 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्घारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

सध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संत्रालय, भीपाल

मार्च

पृ. क्रमांक <u>AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR)</u> (61175) ६०५ भोपाल, दिनांक - 7-फरवरी, 2023 प्रति,

आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपातं।

विषय:- वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से 20% कटोत्री की राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने वावत् ।

वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराचे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20% कटोगी की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस छः सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वंतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जायेगा।

 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के दिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।

 सध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

 अविष्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताब क्षेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपृतिं की जावे!

 ज.ने.कृ.वि.वि जवलपुर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण परचात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव क्षेज़ने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

10. स्वीकृति सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावै।

11. वित्त विभाग के निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/ निर्देशी/ परिपन्नों के तहत ही शिश का उपयोग सुनिश्चित किया जावें।

07/03/23

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संत्रालय, भोपाल

क्रमांक <u>AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR)</u> (61175) & ५ १ १ भोपाल, दिनांक - 22 जुलाई, 2022 प्रति.

संचालक किसान कल्याण तथा कृति विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय प्रपं 2022-23 में राजमाता विजयाराज निविधा कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ग्वीकृत ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत द्विताय तियाही विश्व की 30 प्रतिशत राशि रूपये 78.5502 जाज ग्वीकृत करने बाबत्।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाना विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की विभागीय स्वीकृत वज्य में प्रावधानित राणि रुपये 327.33 लग्ज में में 20 % पर्याची उपरात अविदित राणि रूपये 261.864 लाख में से दिनिय तिमारी किस्त (30%) की राणि सहायक अनुदान के रूप में तथि रूपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पत्रपन हजार नी सी वीम मात्र) पूंजीगत परिमपत्तियों के भुननान के लिए निम्नार्कित शर्तों के साथ स्वीवृत की जाती है:-

- वजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप ने पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावंश वजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 की त्यं कृत किये गये वे ननमान में कोई पुनरी जल शशीधन, वर्षाय तेन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के जिना नहीं किया जायेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को र्व्याकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई अतीं का पूर्णतया पानस किया उन्हें
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य पशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 के दिलाक 17.05.75 में लगाई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भित्रिष्य में सहायक अनुदान के लिए व्योकृति के लिए प्रस्ताय यंत्रते समय मध्यप्रदेश शासन, विस्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई गर्ता की पूर्णत्रय प्रतिपृत्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., म्यालियर के नेजाओं का अनुक्षण करने के लिए मक्फंजाकार मध्यप्रदेश स्वाणियर को अनुमति प्रवान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये गहायक अनुवान का भी उपयोगिका प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुवास राशि का समावीजन अनुवान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावगा.
- 9. आगार्था किस्त के प्रस्तात्र भेजने के पूर्व कार्यहत उपयोगिता प्रभाग पर अगाय उपायवन प्रसाद
- ्10. स्वीकृत सहारक सम्कान राजि कर स्वय क्राव्यक्तित प्रयोजन हेतु ही सुनिधित किया कार्य

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

कमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR) (61175) 4/8 भोपाल, दिनांक - 29 अप्रैल, 2022

संचालक . किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोषाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत व्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति वावत्।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नार्कित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- वजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश वजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शतों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

सध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 142/2022/FWAD (61175)

भोपाल, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बावत्

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौत्री उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की

पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।

3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।

4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई

शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

10.स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहन ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा - 01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान - 001- अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Signed by Jitendra Singh Parihar Date: 0९ वर्ग ने ५५० वर्ग १७५० Reasजार यहाँ अस्ति। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग File No.AGR/8/0035/2021-TRAGEXT-FWAD

2021-22

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

<u>संभालय</u>

क. / क्रमांक: 101/2021/FWAD

भोपाल, दिनांक 12/05/2021

प्रति,

संचालक.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालयं, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छ: सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
- 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में कियां जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव क्षेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।



मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 174/2021/FWAD(68993) प्रति, 04/08/2021

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से द्वितीय तिमाही किस्त हेतु 30 प्रतिशत स्वीकृत करने वावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 54.5592 लाख (रूपये चौवन लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिये हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- 1. विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश वजट में किया जाय।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शतों की पूर्णतया पूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वाछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10.स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

अध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 222/2021/FWAD (84129)

01/11/2021

प्रति,

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंदित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 36.3728 लाख (छत्तीस लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- 1. विश्व विद्यालय, को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि. व्यालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश व्यालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
 - 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
 - 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
 - 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
 - 10.स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
 - 11.वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के सम्बन्धित अद्यतन आदेश /निर्देश /परिपन्नों के

and the second

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

24

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14/AGR(61175) 59

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पँतालीस लाख छियालीस हजार छ: सी मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नाकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

- 1. विश्व विद्यालय, को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए संवीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
-6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
 - 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्धं करावें।
 - 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
 - 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
 - 10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
 - 11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावें।

22/01/22

3

मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR)(61175) 228 भोपाल, दिनांक - अमार्च, 2022 प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर की सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पँतालीस लाख छियालीस हजार छ: सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नार्कित शर्ती के साथ स्वीकृत की जाती है:-

 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिए गये निर्देशनुसार विश्व विदयालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।

3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें।

 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यपदेश ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/निर्देशों /परिपत्रों के तहत ि ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

09/2/22

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

क्रमांक बी-4/11/2020/14-2/1400 प्रति.

भोपाल, दिनांक / 9/57 2020

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

वर्ष 2020-21 राज्माता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतू राज्य शासन द्वारा लेखानुदान 2020 में स्वीकृत कजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि स्वीकृति प्रदान करने बायत्।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट लेखानुदान 2020 में प्रावधानित राशि रूपये 45.47 लाख आंवटित राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 45,47 लाख (राशि रु. पंतालिस लाख ंतेतालिस हजार मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पंतियों के भुगतान हेतु निम्न शर्ती के साथ स्वीकृत करता है:--

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्दशानुसार

विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई

अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें

यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्ती का पूर्णतया पालन किया

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भैजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनिांक 11.05.77 में लगाई

गई शर्तो की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

15

रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश 6 ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

7 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

0 थागानी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्व उपलब्ध क्रशवें।

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावै।



मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल, दिनांक 29 / 8 / 2020 क्रमांक बी-4/11 /2020/14-2 प्रति,

> संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतुं शेष राशि स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष २०२०-२१ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु (45%) राशि सहायक अनुदान की शेष राशि राशि रुपये 36.3688 लाख (राशि रु. छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न आतों के साथ स्वीकृत करता है:-

1.) बजट बनाते समय वित्तं विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार

विश्वविद्यालय,, को अन्य स्त्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।

2.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य भारतन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

3.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई

अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।

4.) यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई भातों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5.) भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शतों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

6.) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश

ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

7.) पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

8.) इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9.) आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे। 0.) स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

क्रमांक: 27/2020/FWAD प्रति.

संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु राशि स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंदित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु (25%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 45.466 लाख (राशि रु. पैतालिस लाख छयालीस हजार छ सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शतों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
 - 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।



मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

05/02/2021

#DocumentNumber# प्रति..

1760 H

CHECK TOPIC

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चर्तुथ तिमाही किस्त हेतु (30%) हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शामन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में मे आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में मे चर्तुथ तिमाही किस्त हेतु (30%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 54.5592 लाख (राशि रु. चौवन लाख पचपन हजार नौ सौ वीस मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न

1. वजटं बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय,, को अन्य न्त्रोतों से हाने वाली आय का समावेश वजट में करें।

- दिनांक 26.12.70 को म्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के विना नहीं किया जायेगा।
- दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के विना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शामन, मामान्य प्रशामन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, दित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- पूर्व में स्वीकृत किये गये महायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
- 10. म्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग मंख्या-54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा- 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य -120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 <u>अनुसूचित जाति उपयोजना</u> - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना v-42-महायक अनुदान -001-महायक अनुदान (अधोमंग्चना/पूंजीगत परिसम्पत्तियां निर्मित किये जाने हेतु) अंतर्गत विकलनीय होगा।

5cp(In)

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

company of all 2 2 2 11-2-221

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से नथा आदेशानुमार Digitally signed by JITENDRA SINGH PARIHAR PARIHAR Date:Fri Feb 05 14:30:03 IST 2021 Reason:Approved (जितेन्द्र मिह परिहार)

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

किमान कल्याण तथा कृपि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

25/03/2021

क्रमांक: 80/2021/FWAD

प्रति,

संचालक किसानं कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत राशि में से 20 प्रतिशत रोकी गई राशि स्वीकृत करने बाबत्।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 227.33 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त की 20 प्रतिशत रोकी गई राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैतानीस लाख छियालीस हजार छ: सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्ती के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की
- 3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्ती का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को
- 7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
- 8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9. आगामी किस्त के प्रस्ताव के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10.स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या- 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा-2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01- फसल कृषि कार्य-120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 अनुसूचित जाति उपयोजना - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना V-42-सहायक अनुदान-001- सहायक अनुदान (अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु)अंतर्गत विकलनीय होगा। signed by JITENDRA SINGH

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

AP hu Mar 25 15:26:35 IST 2021 n:Approved

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथ कृषि विकास विभाग

2019-20

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मन्त्रालय

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/1479 प्रति.

भोपाल, दिनांक 6 5 2019

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

विषय:

मध्यप्रदेश, भीपाल वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृष्टि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान के अन्तर्गत प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करने बावता।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ्यालियर को अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभागीय लेखा अनुदान बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख, में से माह अप्रेल - मई 2019 हेतु राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान अद्योसंख्यना / पूजीगत परिसम्पित्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान निम्न शर्ती के साथ स्वीकृत करता हैं :-

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रातों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जायेगा। 2

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई

यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनिांक 11.05.77 में लगाई 5 गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदश


पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें। ग्वालियर को अनुमित प्रदान की गई है।

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा। आगामी किरत के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कंशावें। .7 . 8

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन, हेतु ही सुनिश्चित किया 9

10 जावे।

6



क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/4000 प्रति,

भोपाल, दिनांक ५ [१] ी १

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्धारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतु शेष स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019–20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आंवटित ाश रूपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु 45% राशि सहायक अनुदान के रूप में मिशि रूपये 1,83880 लाख (राशि रु. एक लाख तिरासी हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूजीगत परिसम्पितियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजह में करें। . 1

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई . 3

अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें

यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तो का पूर्णतया पालन किया

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनिांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखांकार मध्यप्रदेश

ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे। 7

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

4707 क्रमांक/बी-4/08/2019/14-2 भोपालः दिनांक २५-10-19

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, 21.0.9

मध्यप्रदेष, भोपाल

वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि व्हिवविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्धारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत विषय :-प्रावधानित राशि में से तृतीय किस्त हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि व्यविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राष्ट्री रूपये 227.33 लाख में से आंवटित राशि रूपये 181.864 लाख में से तृतीय किस्त 25 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 45,46,600 लाख (राशि रु. पैतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

बजट बनाते समय दित विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशनुसार दिखविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संबेधन, परिवर्तन राज्य

शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई 2 अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें 3

यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रश्नसन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनिांक 11.05.77 में लगाई गई शर्ती की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश

ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे। 6

इस अनुदान राष्ट्रिका समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा। 7

आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अव्ह्य उपलब्ध

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय

क्रमांक बी-4/09/2017/14-2/3400 प्रतिं,

भोपाल, दिनांक 19.07. 2019

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

विषय:

वर्ष 2019-20 में प्रावधानित लेखानुदान अनुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया मध्यप्रदेश, भोपाल कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु लेखा अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से 30 प्रतिशत राशि की स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभागीय लेखा अनुदान बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख (रूपये सो लाख) में से जून – जुलाई 2019 हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 30 प्रतिशत राशि रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) मात्र का संधारण अनुदान (वेतन भत्ते इत्यादि) हेतु निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत करता है:-

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमित के बिना नहीं किया जायेगा।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई

अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप 3 क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई 5

रा.वि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश

पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें। ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा। 7 8

आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध

रवीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया 10 जावे।





मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्राराय

भोपाल, दिनांक 20-01-2024

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/271

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

वर्ष 2019—20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्धारा स्वीकृत बजट के अन्तंगत विषय :-प्रावधानित राशि में से चतुर्थ किस्त हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आंवटित राशि रूपये 181.864 लाख में से चतुर्थ किस्त 30 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 54.55920 लाख (राशि रु. चउवन लाख पचपन हजार नो सौ बीस मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पंत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार

विश्वविद्यालय को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई 3

अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें

5

यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्ती का पूर्णतया पालन किया 'जावे।

भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनिांक 11.05.77 में लगाई

गई शर्तो की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।

रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश 6 ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा। 8

आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।